भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 जनवरी 2023 – 31 मार्च 2023)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 25 अप्रैल, 2023 अंक-2

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

"भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण" एवं "प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने" के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी अधिकारिता प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रेस पर भी है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी :

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक

को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित

उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिस पर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी। परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए यानि ऐसे लेख जोकि प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य स्तरों से निम्न स्तर के माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता का ही नुकसान होगा।।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 307 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in, so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
	भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))	
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्ययेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जन मोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्त *	-	-
	संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}	
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आजकाल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, प शि च म बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

** नामांकन प्रक्रिया चल रही है।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन, चंडीगढ़-पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, महाराष्ट्र
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामैन, चंडीगढ़-पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

** उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गई।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
	समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}	
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}	
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
श्री शैलेंद्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
	लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
रिक्त*	राज्य सभा	

सचिव : श्री नंगसंग्लेम्बा आओ

** इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।*

विषय सूची

पेज नं.

संपादक की कलम से		1
संक्षिप्त विवरण		3
1	पत्रकारिता जगत से	6
2	स्वच्छता पखवाड़ा - 2023	8
3	शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 (16 जनवरी, 2023 से 14 फरवरी, 2023)	10
4	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - 2023	11
5	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	12
6	न्यायनिणयों की विषयगत सूची - प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा-13 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को खतेरे संबंधी शिकायतें	23
7	न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची - प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा-14 के अंतर्गत प्रेस के विरुद्ध दर्ज शिकायतें	24
8	परिषद के न्यायनिर्णय	26
9	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची	73
10	तिमाही के दौरान पीआरएबी द्वारा पारित आदेश	74

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

प्रेस परिषद समीक्षा के अप्रैल 2023 अंक के साथ आपका स्वागत है, जो इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा किए गए परामर्शीय एवं अर्ध-न्यायिक कार्यों का व्यापक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य, आपको, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और पत्रकारिता के मानकों के संवर्धन के लिए परिषद के अथक प्रयासों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है।

निम्नलिखित पृष्ठों में, आपको, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच, किए गए कार्यों का सारांश मिलेगा। यह प्रेस की स्वतंत्रता के अमूल्य अधिकार और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों द्वारा रिपोर्टिंग के मानकों के संरक्षण और उनमें सुधार करने के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने 12 मामलों में न्यायनिर्णयन आदेश पारित किए। इसके अतिरिक्त, परिषद ने ऐसी कई घटनाओं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, *स्वत: संज्ञान* लिया। इनमें पत्रकारों की गिरफ़्तारी और मीडियाकर्मियों को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने वाली घटनाओं जैसे मामले शामिल थे।

परिषद ने समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने से भी संकोच नहीं किया। अनुचित विज्ञापन और टिप्पणियाँ प्रकाशित करने के लिए कई समाचारपत्रों के विरुद्ध *स्व-प्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।

हमें यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 28 फरवरी, 2023 को उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 प्रदान किए गए। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, हमने पुरस्कार की दस श्रेणियों के अंतर्गत, पत्रकारों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया।

इसके अतिरिक्त, हमें पत्रकारों की अगली पीढ़ी के शिक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गर्व है। परिषद ने अपना तीसरा इंटर्नशिप कार्यक्रम, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2023 आयोजित किया, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों के दस पत्रकारिता के छात्रों को परिषद की कार्यप्रणाली जानने का अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम समापन सत्र के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई एवं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री जय शंकर गुप्ता द्वारा इंटर्न्स के साथ इंटरैक्टिव चर्चा शामिल थी। हमने, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और पंजाब

विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के छात्रों द्वारा परिषद सचिवालय के यादगार दौरे के लिए, उनका भी स्वागत किया। इन दौरों में परिषद की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जिसके पश्चात भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया ने उनके साथ चर्चा की।

उत्कृष्टता के लिए प्रयत्नशील रहते हुए, परिषद इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी कार्यरत रही, जैसे कि स्वच्छता अभियान 2023, जिसका उद्देश्य हमारे परिसर को व्यवस्थित और कचरा मुक्त करना है। हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए बैनरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया।

यदि हम पिछली तिमाही की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करें, तो हम उन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं,जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है- प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, नैतिक मानकों को बनाए रखना और भारत में मीडिया उद्योग को आगे बढ़ाना। पाठकों के निरंतर समर्थन के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

हमें आशा है कि प्रेस परिषद समीक्षा का यह अंक, आपके लिए ज्ञानवर्धक और सूचनाप्रद रहेगा।

भवदीय

नंगसंग्लेम्बा आओ

सचिव

****

संक्षिप्त विवरण

आपके समक्ष, प्रेस परिषद समीक्षा का अप्रैल, 2023 अंक (01.01.2023 से 31.03.2023) प्रस्तुत है, जो तिमाही के दौरान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा की गई परामर्शी एवं अर्ध-न्यायिक कार्रवाइयों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। यह रिपोर्ट भावी उद्यमों का मार्ग प्रशस्त करने और प्रेस के बेहतर प्रदर्शन हेतु परिषद द्वारा किए गए प्रयासों का प्रतिबिंब है। इसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और पत्रकारिता के मानकों के संवर्धन के लिए की गई कार्रवाइयों का सार शामिल है। इस पूर्ण अवधि के दौरान, परिषद ने प्रेस की स्वतंत्रता के बहुमूल्य अधिकार और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों में मानकों के संरक्षण और उनमें सुधार करने के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन को बढ़ावा देने की दिशा में निष्ठापूर्वक कार्य किया।

परिषद के समक्ष शिकायतें:

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, कुल 319 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से, 93 शिकायतें प्रेस द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के खतरे को लेकर की गयीं थीं और 226 शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन हेतु प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं थीं।

तिमाही के दौरान परिषद द्वारा दिनांक 28.02.2023 को न्यायनिर्णय के माध्यम से 12 शिकायतों का समाधान किया गया।

स्व-प्रेरणा से संज्ञान:

तिमाही के दौरान, परिषद ने निम्नलिखित मामलों में मीडियाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा एवं प्रेस की स्वतन्त्रता के खतरे संबंधी घटनाओं के खिलाफ *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया:

1. यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा कश्मीर घाटी के पत्रकार, श्री इरफान मेहराज की गिरफ्तारी पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।
2. पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे, रत्नागिरी, महाराष्ट्र की कथित हत्या की घटना पर *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।
3. पत्रकार, श्री संजय राणा, संभल, उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी की घटना पर *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।

   कानपुर क्षेत्र में 'ब्लॉक ग्रेजुएट और शिक्षक एमएलसी' चुनाव के लिए गणना के दौरान मतगणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की जिला प्रशासन की कथित कार्रवाई पर *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।

परिषद ने तिमाही के दौरान निम्नलिखित मामलों में पत्रकारिता नीति और जनरुचि के मानकों के उल्लंघन के लिए समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ भी *स्वप्रेरणा* से संज्ञान लिया:

1. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रेस परिषद द्वारा तैयार किये गए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए दीना थांथी समाचारपत्र, मदुरई संस्करण के विरुद्ध *स्व-प्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।
2. हिन्दुस्तान, दिल्ली संस्करण के विरुद्ध, उनके विभिन्न अंकों में अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों को प्रकाशित करने पर *स्व-प्रेरणा* से संज्ञान लिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति:

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, परिषद ने सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले मामलों या पत्रकारिता नीति या विभिन्न मुद्दों से संबंधित मामलों पर नौ (9) प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं।

परिषद ने पत्रकारों पर हमले और प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती से संबंधित मामलों पर *स्व-प्रेरणा* से संज्ञान लिया। परिषद ने नैतिक पत्रकारिता अभ्यास की आवश्यकता पर बल देते हुए हिंदुस्तान, दिल्ली संस्करण द्वारा अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन की निंदा की।

परिषद ने विभिन्न राज्यों में चुनावों के दौरान पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करने के लिए प्रिंट मीडिया को परामर्शिकायेँ भी जारी की।

28.02.2023 को उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार:

वर्ष 2012 से उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रतिवर्ष प्रदान किए जा रहे हैं, परंतु कोविड-19 से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण, वर्ष 2020 का पुरस्कार समारोह समय पर, अर्थात्, वर्ष 2020 में आयोजित नहीं किया जा सका। भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष द्वारा फरवरी, 2023 में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 प्रदान किए गए। इसका विस्तृत विवरण दिनांक 28.02.2023 की प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है।

इंटर्नशिप

पिछली तिमाही में, परिषद द्वारा 16 जनवरी, 2023 से 14 फरवरी, 2023 की समय अवधि के लिए अपने तीसरे इंटर्नशिप कार्यक्रम, अर्थात्, शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। परिषद की कार्यप्रणाली की जानकारी के लिए पूरे भारत से पत्रकारिता के दस (10) छात्रों का चयन किया गया। इंटर्नशिप कार्यक्रम समापन कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें माननीय

अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद और श्री जय शंकर गुप्ता, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद का इंटर्नस के साथ इंटरैक्टिव सत्र शामिल था।

<u>अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप:</u>

भारतीय प्रेस परिषद में 16 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2023 तक स्वच्छता अभियान 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद द्वारा पुरानी रद्दी का निपटान, फाइलों/पुराने रिकॉर्डों को वीडआउट करने संबंधी कार्य किए गए। इसका विस्तृत विवरण, रिपोर्ट में दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर दो बैनर लगाए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के दो छात्रों ने परिषद का दौरा किया। छात्रों को परिषद की कार्य-प्रणाली को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष महोदया के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया।

******

पत्रकारिता जगत से

दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार

दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली इस तस्वीर इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहाल कुछ बच्चे पानी अंजुलि में भरकर उससे प्यास बुझाते व गर्मी से बचाव के लिए चेहरे पर पानी डालते–डालते दिख रहे हैं। जल ही जीवन शीर्षक के तहत दैनिक जागरण में प्रकाशित इस फोटो न्यूज को निर्णायकों ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इन जर्नलिज्म–2020 (फोटो जर्नलिज्म सिंगल न्यूज पिक्चर श्रेणी) में चुना है। इसके लिए धनबाद के झारिया में रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े छायाकार इजहार आलम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। 28 फरवरी को दिल्ली में उनको कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हाल में काउंसिल की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई पुरस्कृत करेंगी।

इजहार कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवन अनमोल है, उसी प्रकार जल भी हमारे लिए अमृत है। हम धनबाद कोयलांचल में रहते हैं, जहां गर्मी के दिनों में एक–एक बूंद पानी के लिए लोगों को सुबह से जद्दोजहद करते देखा जा सकता है। लोग कई किलोमीटर दूर से लोग पानी लाते हैं। दैनिक जागरण के सात सरोकार में से एक जल संरक्षण भी है। हमने यह तस्वीर खास परिस्थिति में बच्चों की पानी के प्रति ललक देखकर खींची थी। मकसद यही था कि लोग पानी का मोल समझें, उसे सहेजें, उसकी एक एक बूंद को अमृत समझें और उसे बर्बाद ना होंने दें।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
24/02/2023

विज्ञापनों, समाचारों में महिलाओं की गरिमा के प्रति संवेदनशीलता की मीडिया से अपेक्षाः मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12/03/2023 को कहा कि मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विज्ञापनों, समाचारों और कार्यक्रमों में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी संवेदनशीलता रखें। राष्ट्रपति ने नवभारत टाइम्स द्वारा आयोजित महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के दौरान एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं को छोड़े जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि इस मौलिक कर्त्तव्य को निभाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक की सोच नारी के प्रति सम्मानपूर्ण हो। मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण आचरण की नींव परिवार में ही रखी जा सकती है। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार, उन्होंने सभी माताओं और बहनों से आग्रह किया कि वे अपने बेटों और भाइयों में सभी महिलाओं को सम्मान देने के मूल्यों को विकसित करें।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
13/03/2023

अखंडता के लिए खतरा बनने वाली खबरों से बचें मीडिया

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 18/03/2023 को मीडिया बिरादरी की देश की अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली खबरों के प्रति सतर्क रहने और उन्हें जगह देने से बचने का आग्रह किया। ठाकुर ने कहा कि देश के भीतर से या विदेश से जाहिर की गई निराधार, अप्रमाणित और अतार्किक राय देश की लोकतांत्रिक प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया बिरादरी से सतर्क रहने और ऐसी आवाजों और समाचारों को जानबूझकर या अनजाने में जगह देने से बचने का आग्रह करता हूं, जो भारत की अखंडत को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। मंत्री ने मलयालम के एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा कि एक कहावत है कि तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं और राय स्वतंत्र होती है। ठाकुर ने कहा कि मैं यहा इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे महान राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रकृति हमेशा एक तथ्य बनी रहेगी, भले ही देश या विदेश से कितनी ही धाटिया ओर अतार्किक राय जाहिर की जाए।

भारत विरोधी भेदभाव के साथ जन्मी विदेशी प्रकाशन कंपनियां या संस्थाएं, तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश कर रही हैं, जिनकी पहचान कर उनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। यहां जमीनी हकीकत को समझने वाली भारतीय मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उनकी यह टिप्पणी गुजरात दंगों पर बीबीसी के विवादित डाक्यूमेंटरी के अलावा कागेंस नेता राहुल गांधी द्वारा लदंन में दिए गए बयान कि देश में लोकतंत्र हमले का सामना कर रहा है, की पृष्ठभूमि में आई है।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
19/03/2023

फर्जी खबरों पर चिंता जताई

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फर्जी खबरों समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को भी खतरे में डाल सकती है।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
23/03/2023

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चुनौतीः मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही जानकारी को 'ऑक्सीजन' बताया। राष्ट्रपति ने भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि सोशल मीडिया के दौर में तेजी से फैलने वाली फेक न्यूज की चुनौती सामने आई है। IIS अधिकारियों को फेक न्यूज से निपटने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दुनिया में भारत की छवि गढ़ने में इन अधिकारियों की भूमिका अहम है।

नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली
30/03/2023

स्वच्छता पखवाड़ा, 2023

स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 परिषद में 16 जनवरी, 2023 - 31 जनवरी, 2023 तक मनाया गया। पहले से ही तैयार की गई अपनी कार्य योजना के अनुसार परिषद में इस अवसर पर विभिन्न कार्यकलाप किए गए।

स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर परिषद के परिसर में बैनर लगाये गये

स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 के दौरान किये गये कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

17-18 जनवरी, 2023	पुरानी फाइलें वीडआउट की गईं
19-20 जनवरी, 2023	अनुभागों में कर्मचारियों ने फाइलों और कैबिनेट आदि को ठीक तरह से व्यवस्थित किया और अनुभागों के साथ-साथ गलियारों के सौंदर्यीकरण का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया गया।
23-24 जनवरी, 2023	फाइलों का सही ढंग से रखरखाव करने के सभी अनभागों को निदेश दिए गए। अनुभागों में पुराने फाइल कवरों को बदलकर नए कवर में रखा गया। परिषद के अवर सचिव (प्रशासन) और अ.अ. (प्रशासन) ने सभी अनुभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
30 जनवरी, 2023	"स्वच्छ भारत अभियान" विषय पर परिषद के सचिवालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

******

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023
(16 जनवरी, 2023 से 14 फरवरी, 2023)

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख), (ग) और (घ) के तहत अधिदेश के अनुसरण में, 16 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 की अवधि में, पत्रकारिता के छात्रों के लिए **"शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी) 2023"** का आयोजन किया। इसके लिए दिनांक 09.11.2022 के नोटिस के माध्यम से पात्र, पत्रकारिता के छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके जवाब में, सचिवालय में पूरे देश भर से आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों की जांच के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व और भारतीय प्रेस परिषद में उनकी इंटर्नशिप की सार्थकता को सिद्ध करने वाले लेखों पर विचार करते हुए, दस (10) अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 के समापन समारोह की कुछ झलकियाँ

इंटर्न्स को परिषद के सचिवालय में व्यावहारिक कार्य अनुभव के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उनकी कार्य तालिका के अनुसार, उन्हें अनुभागों की कार्य-प्रणाली के बारे में जानने के लिए परिषद के विभिन्न अनुभागों, अर्थात्, संपादकीय, बैठक, शिकायत, राजभाषा और लेवी में तैनात किया गया। उन्हें इंटरनेट, कंप्यूटर, पुस्तकालय और फोटोकॉपी की सुविधाएं भी प्रदान की गईं।

कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, इंटर्न्स को निम्नलिखित विषयों (जैसा कि उन्हें आवंटित किये गये थे), पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया :–

1. पत्रकारों की गिरफ़्तारी और अवैध तरीके से उन्हें हिरासत में रखना और प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका
2. सरकार की प्रत्यायन नीति और प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर इसका प्रभाव
3. प्रेस/मीडिया में एलजीबीटीक्यू समुदाय का प्रतिनिधित्व
4. संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया
5. सरकार की विज्ञापन नीति और प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर इसका प्रभाव

14 फरवरी, 2023 को कार्यक्रम के समापन पर, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई और परिषद के माननीय सदस्य, श्री जय शंकर गुप्ता के साथ एक संवाद (इंटरैक्टिव) सत्र आयोजित किया गया।

ज्ञानवर्धक सत्र के पश्चात्, सभी इंटर्न्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और तत्पश्चात, इंटर्न्स की एक ग्रुप फोटो खींची गई।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2023

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, पूरे सचिवालय में प्रमुख स्थानों पर, बैनर लगाए गए, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष स्मरण कराता है। ये जीवंत बैनर महिलाओं के अधिकारों के लिए एकजुटता और समर्थन के एक शक्तिशाली प्रतीक थे।

भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने भी प्रभावशाली भाषण दिया और विभिन्न स्थानों पर इस अवसर को चिह्नित करने के लिए संदेश भेजा। उन्होंने कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और महिलाओं के जीवन में पारिवारिक समर्थन के महत्व पर भी जोर दिया।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदया ने इंटरैक्टिव सत्र के दौरान, पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ भी वार्ता की। उन्होंने विशेष रूप से महिला छात्रों को संबोधित करते हुए एक प्रेरक संदेश दिया कि विवाह को उनके करियर और महत्वाकांक्षाओं में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति देसाई ने युवा महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए निडर, दृढ़निश्चयी और बेबाक होने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस बात पर जोर दिया कि उनमें अपने चुने हुए क्षेत्रों में आगे बढ़ने की पूर्ण क्षमता है।

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 1/2023-पीसीआई दिनांक: 10.02.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे, रत्नागिरी, महाराष्ट्र की कथित हत्या की घटना पर लिया स्वत: संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे की कथित हत्या की कड़ी निंदा करती है। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने महाराष्ट्र सरकार को, उसके मुख्य सचिव और डीजीपी, महाराष्ट्र तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रत्नागिरी के माध्यम से, मामले के तथ्यों पर अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 2/2023 दिनांक: 20.03.2023

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रेस परिषद द्वारा तैयार किये गए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए दीना थांथी समाचारपत्र, मदुरई संस्करण के विरुद्ध लिया गया स्व-प्रेरणा से संज्ञान

नई दिल्ली, 20 मार्च,: भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने दीना थांथी समाचारपत्र के विरुद्ध, उनके मदुरई संस्करण के दिनांक 07.03.2022 के अंक में विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है, जो 'उत्प्रवास अधिनियम, 1983' के साथ-साथ प्रेस परिषद द्वारा, इसके अनुसार, "विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु तैयार किए गए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हैं।

संपादक, दीना थांथी समाचारपत्र, मदुरई संस्करण को उत्तर दर्ज़ करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 3/2023-पीसीआई (संपा.) दिनांकित: 28.02.2023

उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आज कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में, उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 प्रदान किए गए। कुल ग्यारह पुरस्कार विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से मुख्य पुरस्कार श्रेणी थी- राजा राम मोहन राय पुरस्कार। पुरस्कार विजेताओं का चयन, जूरी द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के 13वें कार्यकाल के प्रतिष्ठित सदस्य, श्री छायाकांत नायक, संयोजक, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्री ओम प्रकाश खेमकर्णी, श्री कमल नैन नारंग, श्री राकेश शर्मा, श्री उत्तम चंद शर्मा, एम.ए. मजिद और सहयोजित (co-opted) बाह्य विशेषज्ञ के रूप में, प्रोफेसर एम. श्रीधर आचार्युलू शामिल थे।

डॉ. ऐने भवानी कोटेश्वर प्रसाद, प्रख्यात पत्रकार और लेखक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश को, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु, प्रतिष्ठित **"राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार"** से पुरस्कृत किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।

श्री रोहिताश्व कुमार वर्मा, संवाद्दाता, दैनिक जागरण, मेरठ को शीर्षक **"हाज़ीपुर का दर्द ना सुने कोई, झोपड़ी में रहते हैं कई ग्रामीण"** के अंतर्गत लेख के लिए **"ग्रामीण पत्रकारिता"** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

श्री रोहन दुआ, वरिष्ठ सहायक संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को शीर्षक, **"आईआईएम अलुम्नस फ्रौम कार्गिल वांट्स टू ट्रेन जेएण्डके यंगस्टर्स फॉर कैट" ("IIM Alumnus From Kargil Wants to Train J&K Youngsters for CAT")** के अंतर्गत लेख के लिए **"संघर्ष क्षेत्र से रिपोर्टिंग"** की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

श्री शंकर पामार्थी, मुख्य कार्टूनिस्ट, साक्षी तेलुगु डेली, हैदराबाद को शीर्षक, **"भारत भाग्य विधाता, महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती"** के अंतर्गत दृष्टांत हेतु **"सर्वोत्तम**

समाचारपत्र कला: कार्टून, व्यंग्य-चित्र एवं दृष्टांत" ("The Best Newspaper Art: Covering Cartoons, Caricatures and Illustrations") श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

श्री इजहार आलम, **फोटोग्राफर**, **दैनिक जागरण**, **धनबाद** को शीर्षक, **"जल ही जीवन"** के अंतर्गत प्रकाशित फोटो के लिए **"फोटो पत्रकारिता – एकल समाचार चित्र" ("Photo Journalism – Single News Picture")** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

श्री भानु प्रकाश चंद्रा, **उप फोटो संपादक**, **द वीक**, **बेंगलुरु** को शीर्षक **"कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ" ("Confluence of Faith")** के अंतर्गत प्रकाशित फोटोग्राफिक दृष्टांत हेतु **"फोटो पत्रकारिता - फोटो फीचर" ("Photo Journalism – Photo Feature")** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

सुश्री मिनी पी. थॉमस, **वरिष्ठ संवाद्दाता**, **द वीक**, **बेंगलुरु** को, शीर्षक **"द ब्लेड रनर"** (**"The Blade Runner"**) के अंतर्गत लेख के लिए **"खेल-कूद संबंधी रिपोर्टिंग/खेल फोटो फीचर"** (**"Sports Reporting/Sports Photo Feature")** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

सुश्री रेम्या के. एच., **वरिष्ठ सामग्री लेखक**, **मातृभूमि दैनिक**, **कोझिकोड और श्री सैयद फाजिल हुसैन परवेज़**, **संपादक**, **गवाह उर्दू वीकली**, **हैदराबाद** को, शीर्षकों क्रमशः **"क्राईज़ दैट शुड नॉट बी गॉन अनहर्ड" ("Cries that should not be gone unheard")** एवं **"अनसंग हीरोस एंड मारटीयर्स ऑफ उर्दू जर्नलिज़्म" ("Unsung Heroes and Martyrs of Urdu Journalism")** के अंतर्गत लेखों के लिए **"विकास संबंधी रिपोर्टिंग"** **("Developmental Reporting")** श्रेणी में संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया।

श्री रुद्रन्ना हरथिकोटे, **सहायक संपादक**, **विजयवाणी**, **कन्नड़ डेली**, **बेंगलुरु** को, शीर्षक **"कर्णा मुल्स न्यू क्रॉप पॉलिसी, बेस्ड ऑन वैदर कंडिशन्स"** (**"Karna Mulls New Crop Policy, based on weather conditions")** के अंतर्गत लेख के लिए **"वित्तीय रिपोर्टिंग" (Financial Reporting)** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

सुश्री निलीना अथोली, **उप-संपादक**, **मातृभूमि**, **केरल** को, **"मेरिटल रेप्स इन प्रोग्रेसिव केरेला" साक्षराकेरलाथिले भरथरू बाललसंगंगल ("Marital rapes in progressive Kerala"** ***Saksharakeralathile Bharthru Balalsangangal*****)** के अंतर्गत **प्रकाशित उनकी श्रृंखला** के लिए **"लैंगिक मुद्दों संबंधी रिपोर्टिंग" ("Gender Issue Reporting")** श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail* : pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website* : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 4/2023-पीसीआई दिनांक: 01.03.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान पेड समाचार को लेकर पत्रकारिता के आचरण के मानक - 2022 का पालन करने की दी सलाह

"किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में दिये जा रहे किसी भी समाचार या विश्लेषण को जिसका मूल्य प्रतिलाभ के रूप में नकद या जिन्स में हो" पेड (प्रदत्त) समाचार कहा जा सकता है।

2. अतः भारतीय प्रेस परिषद ने चुनावों के दौरान पेड समाचारों का प्रकाशन न करने के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा पालन करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

(क) समाचारपत्र को किसी नेता का बयान गलत अर्थ में या गलत प्रकाशित नहीं करना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सही भावना में दर्शाया जाए जैसे कि उनके द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा था।

(ख) जिन समाचारों के स्तंभों (कॉलम) में किसी राजनीतिक दल विशेष के उम्मीदवार के समर्थकों तथा जातिगत आधार पर मतदाताओं के नाम व्यापक रूप से दर्शाये जाते हैं, इस प्रकार के समाचार प्रकाशित करने से यह सिद्ध होता है कि रिपोर्ट पेड समाचार है।

(ग) प्रतिस्पर्धी समाचारपत्र में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित राजनीतिक समाचार पेड समाचार होने का पूरा-पूरा संकेत है।

(घ) चुनाव के दौरान दो समाचारपत्रों में समान समाचार शब्दशः प्रकाशित होना संयोग नहीं हो सकता है और उससे स्पष्ट होता है कि वे समाचार प्रतिलाभ हेतु प्रकाशित किये गए हैं।

(ड़) कोई समाचार/फोटोग्राफ प्रस्तुत करने का ढंग और वह भी किसी एक दल विशेष के पक्ष में हो और किसी दल विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील भी की गई हो, तो वह सांकेतिक रूप से पेड समाचार है।

(च) चुनाव में किसी उम्मीदवार, जिसे अभी नामांकन भी दर्ज करना हो, की सफलता दर्शाना सांकेतिक रूप से पेड समाचार है।

(छ) प्रचार सभाओं पर समाचार रिपोर्टों और फिल्मी स्टार की मौजूदगी के कारण भारी उत्साह को पेड समाचार नहीं कहा जा सकता है।

(ज) चुनाव के बारे में समाचार देते समय, समाचारपत्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्ट/उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करने में संतुलन सुनिश्चित करें।

(झ) चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन समाचारपत्र उम्मीदवारों या पक्षों की संभावनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं और इसका प्रकाशन पेड समाचार नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसे प्रकाशन के लिए प्रतिलाभ दिया गया है।

(ञ) समाचारपत्र सत्यापन किए बिना, किसी भी राजनीतिक दल की जीत की भविष्यवाणी करने वाले किसी भी समाचार सर्वेक्षण को प्रकाशित नहीं करेंगे।

(ट) चुनाव के दौरान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सभी गुणों के साथ पेश करके मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, पेड समाचार है।

(ठ) एक उम्मीदवार/प्रत्याशी के नकारात्मक पहलू और साथ ही अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवार के, बिना किसी आधार के, सकारात्मक पहलुओं को देने वाला समाचार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह पेड समाचार है।

3. प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह विभिन्न राज्यों में चुनाव के दौरान, पेड समाचारों पर प्रेस परिषद के उपर्युक्त मानकों का पालन करने हेतु ध्यान दे।

*****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 6/2023-बी-पीसीआई दिनांक : 16.03.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकार, श्री संजय राणा, संभल, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार करने की घटना पर लिया स्वत: संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद, पत्रकार श्री संजय राणा, सम्भल, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार करने की घटना की कड़ी निंदा करती है। उन्हें माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री, सुश्री गुलाब देवी से पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसपर भी गौर किया गया है कि महज़ प्रश्न पूछकर पत्रकारीय कर्तव्य निभाने के लिए पत्रकार को पीटा गया। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले के तथ्यों पर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 7/2023-बी-पीसीआई दिनांक : 27.03.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने कानपुर क्षेत्र में 'ब्लॉक ग्रेजुएट और शिक्षक एमएलसी' चुनाव के लिए मतगणना के दौरान गणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की जिला प्रशासन की कथित कार्रवाई पर लिया स्वत: संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद ने कानपुर क्षेत्र में 'ब्लॉक ग्रेजुएट और शिक्षक एमएलसी' चुनाव के लिए मतगणना के दौरान गणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की जिला प्रशासन की कथित कार्रवाई पर चिंता जताई है। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने आयुक्त, कानपुर मंडल, जिला निर्वाचन अधिकारी, कानपुर नगर और पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को मामले के तथ्यों पर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

*****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 9 /2023- पीसीआई दिनांक: 24.03.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा श्री इरफान महराज, पत्रकार, कश्मीर घाटी की गिरफ्तारी पर लिया स्वत: संज्ञान

भारतीय प्रेस परिषद ने कश्मीर स्थित पत्रकार, श्री इरफ़ान महराज की गिरफ्तारी के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया है। माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने संबंधित प्राधिकारी से टिप्पणी मंगवाने का निदेश दिया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 10/2023- पीसीआई दिनांकित: 27.03.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले मे पत्रकारो पर मामला दर्ज करने के संबंध में लिया स्वत: संज्ञान।

उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के विकास खण्ड मुफ्तीगंज की ग्राम पंचायत पेसारा स्थित अस्थाई गौशाला में मरती व तड़पती गायों की बदहाली की खबर संकलित कर प्रकाशित करने पर (1) ‘‘तेजस टूडे’’ समाचारपत्र के पत्रकार श्री विनोद कुमार, (2) जन संदेश के पत्रकार श्री पंकज सिंह, (3) प्रखर पूर्वांचल के पत्रकार श्री अरविन्द यादव (4) खबर दुनिया के पत्रकार श्री आदर्श मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा संख्या 0089/2023 धारा 504, 506, 384, 429 3(2) के तहत थाना केराकत में 24 मार्च 2023 को दर्ज करवा दिया गया है। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले के तथ्यों पर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

******

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर संख्या 11/2023- पीसीआई — दिनांक: 28.03.2023

भारतीय प्रेस परिषद ने हिन्दुस्तान, दिल्ली संस्करण के विरुद्ध, उनके विभिन्न संस्करणों में अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों को प्रकाशित करने पर लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023: भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने हिंदुस्तान, दिल्ली संस्करण के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लिया है क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण, 2022 के मानक 2 - "विज्ञापन (IV)" और मानक 28-(i) "अश्लीलता और अशिष्टता से बचा जाए" तथा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 और 3 का उल्लंघन करते हुए, अपने विभिन्न संस्करणों में अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों को प्रकाशित किया है।

संपादक, हिंदुस्तान समाचारपत्र, दिल्ली संस्करण को जवाब दाखिल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

****

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
1.	श्री जगपाल सिंह, संपादक, दैनिक आज, गोंडा, उ.प्र. की श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, गोंडा पूर्व रेलवे स्टेशन, गोंडा, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (13/207/18-19-पीसीआई)	28.02.2023	शिकायतकर्ता को न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ समाप्त
2.	श्री अनम इब्राहिम, पत्रकार, शाहजनाबाद, भोपाल, मध्य प्रदेश की पुलिस महानिदेशक, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (140/2020-बी)	28.02.2023	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त

****

प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची

सिद्धांत और प्रकाशन

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
1.	डॉ. लिपि चक्रवर्ती, भिलाई की संपादक, दैनिक भास्कर के संपादक एवं रिपोर्टर, श्री पीलूराम साहू, छत्तीसगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (14/704/18-19-पीसीआई)	28.02.2023	समर्थन किया गया (प्रतिवादी पत्रकार की परिनिंदा की गई)
2.	श्री आनंद मौर्य, क्वालिटी मॉनिटर, मिड-डे मील, मध्य प्रदेश की संपादक, जबलपुर एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/477/18-19-पीसीआई)	28.02.2023	निदेश सहित समाप्त

प्रेस और मानहानि

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
3.	श्री उपदेश सक्सेना, मंगल नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश की दैनिक भास्कर के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14/522/2019-20-पीसीआई)	28.02.2023	खारिज
4.	श्री उपदेश सक्सेना मंगल नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश की राजस्थान पत्रिका के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14/523/2019-20-पीसीआई)	28.02.2023	निदेश सहित समाप्त
5.	श्रीमती आरती कुमारी, झारखंड की दैनिक भास्कर, राँची, झारखंड के विरुद्ध शिकायत। (48/2020-ए)	28.02.2023	प्रतिवादी को चेतावनी देने के साथ समाप्त

स्व-प्रेरणा से संज्ञान (प्रेस के विरुद्ध)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
6.	दैनिक भास्कर द्वारा टेली-फ्रेंडशिप (दूरमित्रता) विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (14/50/स्वप्रेरणा/19-20-पीसीआई)	28.02.2023	प्रतिवादी द्वारा वचनबंध देने पर समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
7.	राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली समाचारपत्र के विरुद्ध अश्लील और भद्दे विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (1/स्वप्रेरणा/2020-ए)	28.02.2023	टिप्पणियों सहित समाप्त
8.	राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली समाचारपत्र के विरुद्ध अश्लील और भद्दे विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए स्व-प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/जनवरी/01/2021-ए-पीसीआई)	28.02.2023	निदेश सहित समाप्त
9.	भारत की महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए कन्नड़ समाचारपत्र, "विश्ववाणी" के विरुद्ध परिषद द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया। (एसएम/अक्तूबर/1/2022-ए-पीसीआई)	28.02.2023	कठोर परिनिंदा की गई

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

10.	श्री सिद्दार्थ के.जे., कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच, बेंगलुरु की विजय कर्नाटक, बेंगलुरु के विरुद्ध शिकायत। (1634/2020-ए)	28.02.2023	परिनिंदा की गई

****

परिषद के न्यायनिर्णय

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 1 **फा. सं.13/207/18-19-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री जगपाल सिंह, संवाददाता, दैनिक आज, जिला महासचिव यूपी पत्रकार संघ (यूपीजेए), गोंडा, उत्तर प्रदेश।	1. श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वी रेलवे स्टेशन, गोंडा (यूपी)।
2. श्री जी.सी. श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष, यूपी पत्रकार संघ (यूपीजेए), गोंडा, उत्तर प्रदेश।	2. श्री छोटे लाल, सब-इंस्पेक्टर, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वी रेलवे स्टेशन, गोंडा (यूपी)।

तथ्य

श्री जी.सी. श्रीवास्तव, मान्यता प्राप्त रिपोर्टर ने श्री जगपाल सिंह, संवाद्दाता, दैनिक आज, गोंडा, यूपी की शिकायत दिनांकित 8.3.2019 को संलग्न किया है, जोकि श्री प्रवीण कुमार, कमांडर और श्री छोटे लाल, सब-इंस्पेक्टर, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ़), गोंडा के विरुद्ध उनके द्वारा आलोचनात्मक लेखन प्रकाशित करने के कारण उनके साथ कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार और धमकी प्राप्त होने के कारण अदिनांकित शिकायत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि श्री जगपाल सिंह ने 02 मार्च, 2019 को दैनिक आज में एक समाचार प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था **"अवैध टैक्सी स्टैंड लगा रहा आदर्श रेलवे स्टेशन के माथे पर कलंक"।** इससे व्यथित होकर श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, रेलवे सुरक्षा बल, गोंडा द्वारा उसी दिन उन्हें बुलाने के लिए दो सिपाहियों को भेजा गया। सिपाहियों ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, आरपीएफ, गोंडा से मिलने का निदेश दिया। समय की कमी के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि 03 फरवरी, 2019 को जब वह समाचार कवर करने के लिए अपने वाहन से जा रहा था, तो प्रतिवादी ने उसे रोका और वाहन को जब्त कर लिया और ड्राईवर, श्री अशोक कुमार का चालान कर दिया। प्रतिवादी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर

दिया और शिकायतकर्ता को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रतिवादियों ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी और उसे ट्रेन के सामने फेंकने की धमकी भी दी। उन्होंने परिषद से प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादियों को 13 मई, 2019 को जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस जारी किए गए।

प्रतिवादियों के लिखित वक्तव्य

प्रतिवादियों - श्री प्रवीण कुमार, कमांडर और श्री छोटे लाल, सब-इंस्पेक्टर ने दिनांक 08 जून, 2019 को अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि गोंडा रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, वे गोंडा रेलवे स्टेशन के परिसर में गए और उन्होंने यह पाया कि चार वाहन नो-पार्किंग जोन में खड़े थे, जोकि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 159 का उल्लंघन है। श्री जगपाल सिंह के वाहन संख्या UP32DN2797 के ड्राईवर, श्री अशोक कुमार ऐसे व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि उक्त वाहन का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था और उसे नो-पार्किंग जोन में पाया गया, इसलिए उसे कब्जे में ले लिया गया। शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ बिना किसी कानूनी कार्यवाही के उनके वाहन और ड्राईवर को रिहा करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उनके वाहन को छोड़ने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी थी और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्व रेलवे, गोंडा के न्यायालय में भी कार्यवाही शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए शिकायतकर्ता को 500/- रुपये का जुर्माना देना पड़ा था, जिसके कारण शिकायतकर्ता रुष्ट हो गया और रेलवे सुरक्षा बल के विरुद्ध समाचारपत्र, दैनिक आज में विभिन्न झूठे और निराधार लेख प्रकाशित करने लगा। प्रतिवादियों ने विवेचित किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और मनगढ़ंत हैं, जिनका उद्देश्य केवल उनकी प्रतिष्ठा को खराब करना है, इसलिए उन्होंने परिषद से शिकायत को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों दिनांकित 26.6.2019 के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए कहा कि आरपीएफ के अधिकारी, प्रतिवादियों - श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, और श्री छोटे लाल, सब-इंस्पेक्टर को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिवादी के पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि उनका वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ा किया गया था। आरपीएफ के पास साक्ष्य के तौर पर ऐसी कोई फोटो नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि वाहन नो पार्किंग जोन से बरामद किए गए थे। उन्होंने एक बार फिर मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

पुलिस अधीक्षक, गोंडा का उत्तर

पुलिस अधीक्षक, गोंडा ने अपने उत्तर दिनांकित 22.2.2021, जोकि सुनवाई के समय प्राप्त हुआ, द्वारा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी, श्री प्रवीण कुमार, पोस्ट कमांडर, आरपीएफ, गोंडा ने अपने उत्तर दिनांकित 16.12.2020 द्वारा उन्हें यह सूचित किया है कि गोंडा रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर प्रतिवादी दिनांक 3.3.2019 को गोंडा रेलवे स्टेशन के परिसर में पहुंचे और पाया कि चार वाहन नो-पार्किंग जोन में खड़े हैं, जोकि रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 159 का उल्लंघन है। इस संबंध में, दिनांक 3.3.2019 को आरपीएफ पोस्ट गोंडा में रेल अधिनियम की धारा 159 के तहत मामला संख्या 447/19 एवं 450/19 दर्ज किये गये थे। उन्होंने आगे बताया कि माननीय न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति पर 500/- रुपये का जुर्माना लगाया और वाहनों को उनके मालिकों को सौंप दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त कार्रवाई आरपीएफ द्वारा की गई थी और स्थानीय पुलिस की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने मामले में पार्टियों में से पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. का नाम हटाने का परिषद से अनुरोध किया है।

श्री छोटे लाल यादव का उत्तर

श्री छोटे लाल यादव, सब-इंस्पेक्टर, आरपीएफ, गोंडा ने, सुनवाई के समय पर पत्र दिनांकित 23.2.2021 के माध्यम से 8 जून, 2019 के लिखित बयान में दिए गए अपने तर्कों को दोहराया है।

यह मामला दिनांक 17.12.2019, 17.12.2020 और 23.2.2021 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। जांच समिति ने दिनांक 21.9.2022 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया, जिसमें बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने निर्णय लिया कि श्री चंद्र मोहन मिश्रा, सीनियर कमांडेंट, लखनऊ, एनईआर अब इस मामले की जांच करेंगे और 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उक्त रिपोर्ट को प्रेस परिषद को भेज दिया जाएगा।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज रिपोर्ट

श्री चंद्र मोहन मिश्रा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर-पूर्वी रेलवे, लखनऊ (उ.प्र.) ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 20.10.2022 दर्ज की, जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता, श्री जगपाल सिंह ने अपने वक्तव्य में अपनी शिकायत को दोहराया, लेकिन अपनी शिकायत के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। श्री जगपाल सिंह ने आगे कहा कि प्रतिवादी, श्री प्रवीण कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया है और अब उनके द्वारा न तो शिकायतकर्ता को धमकाया जा रहा है और न ही उन्होंने श्री प्रवीण कुमार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज़ की है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के पास सीआरपीसी 190, 156/3 के तहत रेलवे और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के उच्च अधिकारियों के समक्ष और माननीय न्यायालय में भी उनके खिलाफ शिकायत करने के विकल्प थे, लेकिन शिकायतकर्ता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के ड्राइवर, श्री अशोक कुमार को बयान दर्ज करने

के लिए दिनांक 29.9.2022, 4.10.2022 और 7.10.2022 को बुलाया गया, लेकिन वे बयान देने के लिए स्वयं उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 3.3.2019 को श्री जगपाल सिंह को पुलिस द्वारा उनके सामने जयनारायण चौक पर गाड़ी से उतार दिया गया और उन्हें (श्री अशोक कुमार को) थाने में बंद कर दिया गया। श्री अशोक कुमार ने आगे कहा कि घटना के दिन पुलिस द्वारा इसलिए कार्रवाई की गई, क्योंकि शिकायतकर्ता का वाहन यात्रियों को लेने के उद्देश्य से गोंडा रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में खड़ा था, और शिकायतकर्ता उस समय वहां मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्री अशोक कुमार, ड्राइवर ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी श्री प्रवीण कुमार (प्रतिवादी संख्या 1) ने अपने वक्तव्य में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया। श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि दैनिक आज में दिनांक 2.3.2019 को प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए दिनांक 3.3.2019 को सब-इंस्पेक्टर, श्री छोटेलाल (प्रतिवादी संख्या 2) एवं उनके स्टाफ को रेलवे स्टेशन पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने चार ड्राइवरों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 159 के तहत रेल सुरक्षा बल, गोण्डा में दिनांक 3.3.2019 को मुकदमा संख्या 447/2019 से 450/2019 दर्ज किया एवं इन चारों ड्राइवरों ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया तथा इनके द्वारा न्यायालय में जुर्माने की राशि जमा करायी गयी। शिकायतकर्ता के प्रति किसी दुर्भावना के आरोप को नकारते हुए, श्री प्रवीण कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता को धमकी मिलने की आशंका को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। श्री प्रवीण कुमार ने कहा कि वह दिनांक 3.3.2019 को घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे और न ही उन्होंने दैनिक आज में दिनांक 2.3.2019 के समाचार के प्रकाशन से नाराज होकर शिकायतकर्ता के पास अपने कर्मचारियों को भेजा था। श्री प्रवीण कुमार ने अपने बयान में आगे कहा है कि शिकायतकर्ता उनके पास आया और पत्रकार होने का हवाला देकर गाड़ी छुड़ाने के लिए उन पर दबाव डाला, लेकिन उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत शिकायत दर्ज़ की।

उन्होंने आगे कहा कि श्री छोटे लाल, सब-इंस्पेक्टर (प्रतिवादी संख्या 2) ने अपने बयान में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि श्री प्रवीण कुमार के निदेश पर उन्होंने उन चार ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिन्होंने गोंडा रेलवे स्टेशन पर नो पार्किंग ज़ोन में अपनी गाड़ी खड़ी की थी। श्री छोटे लाल ने आगे कहा कि न तो शिकायतकर्ता और न ही श्री प्रवीण कुमार (प्रतिवादी संख्या 1) घटनास्थल पर मौजूद थे।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य रेलवे पुलिसकर्मियों और स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए और उन्होंने भी श्री छोटे लाल (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा प्रस्तुत बयान को दोहराया।

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर-पूर्वी रेलवे, लखनऊ ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गये आरोप जांच में साबित नहीं हो सके।

<u>शिकायतकर्ता से प्राप्त पत्र दिनांकित 15.12.2022</u>

शिकायतकर्ता, श्री जगपाल सिंह ने, सुनवाई के समय सौंपे गए, अपने पत्र दिनांकित 15.12.2022 द्वारा अपनी शिकायत को दोहराते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है। उन्होंने आगे कहा कि आरपीएफ के उच्च अधिकारी, आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला अंततः दिनांक 15.12.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता, श्री जगपाल सिंह स्वयं उपस्थित हुए, जबकि श्री परवीन कुमार, इंस्पेक्टर, आरपीएफ, श्री चंद्र मोहन मिश्रा, वरिष्ठ मंडल आयुक्त, आरपीएफ और श्री छोटे लाल यादव, सब-इंस्पेक्टर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

श्री जी.सी. श्रीवास्तव, मान्यता प्राप्त रिपोर्टर ने श्री जगपाल सिंह, संवाद्दाता, दैनिक आज, गोंडा, यूपी, श्री प्रवीण कुमार, कमांडर और श्री छोटे लाल, सब-इंस्पेक्टर, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), गोंडा के विरुद्ध आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने और उन्हें धमकी देने पर शिकायत अग्रेषित की। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जगपाल सिंह ने दिनांक 2.3.2019 को दैनिक आज में **"अवैध टैक्सी स्टैंड लगा रहा आदर्श रेलवे स्टेशन के माथे पर कलंक"** शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया। इससे व्यथित होकर, श्री प्रवीण कुमार, कमांडर, (आरपीएफ) गोंडा ने उसी दिन उन्हें बुलाने के लिए दो सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और श्री प्रवीण कुमार से मिलने का निदेश दिया। समय की कमी के कारण वह प्रवीण कुमार से नहीं मिल सके। श्री जगपाल सिंह के अनुसार 3 फरवरी 2019 को जब वह समाचार कवर करने के लिए अपने वाहन से जा रहे थे, तो प्रतिवादियों ने उन्हें रोक लिया और उनके वाहन को जब्त कर लिया और ड्राईवर, श्री अशोक कुमार का चालान कर दिया। प्रतिवादियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और श्री जगपाल सिंह को भी धमकी दी और कहा कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। उन्होंने उसे धमकी दी कि उसे ट्रेन के सामने फेंक दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रेस परिषद से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। श्री प्रवीण कुमार, कमांडर और श्री छोटे लाल, सब इंस्पेक्टर ने अपने लिखित बयान दर्ज किए और आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि गोंडा रेलवे स्टेशन के नो पार्किंग जोन में वाहनों की पार्किंग के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, प्रतिवादी गोंडा रेलवे स्टेशन के परिसर में गए और वहां

उन्होंने पाया कि चार वाहन नो-पार्किंग जोन में खड़े थे, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 159 का उल्लंघन हुआ। श्री जगपाल सिंह के वाहन संख्या UP32DN2797 के ड्राईवर, श्री अशोक कुमार ऐसे व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि उक्त वाहन का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था और उसे नो-पार्किंग जोन में पाया गया, इसलिए उसे कब्जे में ले लिया गया। इसलिए, श्री जगपाल सिंह को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर जुर्माना भरना पड़ा और अपनी गाड़ी छुड़ानी पड़ी। प्रतिवादियों का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और द्वेषपूर्ण हैं। जांच समिति ने अपने आदेश दिनांकित 17.12.2019 द्वारा आरपीएफ के कमांडेंट को जांच करने और परिषद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तथापि, निदेशानुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिवादियों की इस चूक पर जांच समिति ने अपने आदेश दिनांकित 21.9.2022 में गौर किया। उस दिन यह विवेचित किया गया था कि जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। तदनुसार, श्री चंद्र मोहन मिश्रा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, (आरपीएफ़) ने रिपोर्ट दिनांकित 20.10.2022 प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने श्री जगपाल सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। पूर्ण रिपोर्ट को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। रिपोर्ट उसी तर्ज पर है, जिस पर श्री प्रवीण कुमार और श्री छोटे लाल ने अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने श्री अशोक कुमार के बयान का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री जगपाल सिंह का वाहन यात्रियों को लेने के उद्देश्य से गोंडा रेलवे स्टेशन पर नो पार्किंग जोन में खड़ा किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री अशोक कुमार ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

इस मामले में तथ्यों के कई विवादित प्रश्न शामिल हैं, जो केवल एक न्यायालय ही अंतिम रूप से तय कर सकता है। इसलिए, जांच समिति शिकायतकर्ता को उनकी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान शिकायत को समाप्त करने के लिए परिषद से संस्तुति करती है। चूंकि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के मामले के गुण-दोष पर जांच समिति द्वारा कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की गई है, अतः यदि शिकायतकर्ता न्यायालय का रुख करता है, तो उक्त न्यायालय स्पष्ट रूप से, स्वतंत्रतापूर्ण और विधिनुसार मामले पर निर्णय लेगा। इसलिए, जांच समिति उपर्युक्त शर्तों पर शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

<u>निर्णय</u>

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए उपर्युक्त शर्तों पर शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 2 फा. सं.140/2020-बी

शिकायतकर्ता		प्रतिवादी	
1.	श्री अनम इब्राहिम, पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश।	1.	मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल (मध्य प्रदेश)
		2.	सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल (मध्य प्रदेश)
		3.	पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश पुलिस, भोपाल (मध्य प्रदेश)
		4.	श्री इरशाद वली, आईपीएस, पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल रेंज, भोपाल (मध्य प्रदेश)

तथ्य

दिनांक 13.3.2020 की यह शिकायत, श्री अनम इब्राहिम, पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा श्री इरशाद वली, पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल के विरुद्ध आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण कथित रूप से उन्हें प्रताड़ित करने और उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के उद्देश्य से दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता को विकलांग मान्यता प्राप्त पत्रकार बताया गया है, उसके कथन के अनुसार, चूंकि वह पिछले 17 वर्षों से अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से माफियाओं के गलत कामों को उजागर कर रहा है, उसे कई बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि भोपाल पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए वर्ष 2017 और 2018 में दो गनमैन उपलब्ध कराए थे। वर्ष 2019 में, श्री इरशाद वली ने भोपाल में पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और वे उन पर तबलीगी जमात के अवैध व्यापार माफिया के खिलाफ खबरें बंद करने का दबाव बनाने लगे। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि यह माफिया गिरोह भोपाल में रहने वाले श्री इरशाद वली के ससुराल के करीबियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डीआईजी, श्री इरशाद वली ने माफिया के खिलाफ समाचार प्रकाशित करने से रोकने के लिए उन पर दबाव डालना और उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्री इरशाद वली ने उन्हें बदनाम

करने और झूठे मामले में फंसाने के उद्देश्य से अपनी एक महिला कांस्टेबल के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में महिला ने उन्हें रेपिस्ट और आतंकी बताया था। हालांकि वह उक्त महिला को जानता भी नहीं है। इस संबंध में उन्होंने दिनांक 13.12.2019 को थाना शाहजहाँनाबाद एवं दिनांक 14.12.2019 को अपराध शाखा के एएसपी को लिखित शिकायत दी। दिनांक 14.12.2019 को उनके साथी ने उन्हें फोन पर बताया कि क्राइम ब्रांच ने वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसका नाम, श्री सैफ अली उर्फ यूसुफ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने कबूल किया कि उसने श्री इरशाद वली के कहने पर ही वायरल वीडियो पोस्ट किया था। इस संबंध में, उनकी श्री इरशाद वली से बहस हुई, जिसके चलते श्री इरशाद वली ने उनके विरुद्ध दिनांक 17.12.2019 को थाना शाहजहाँनाबाद, थाना गोविंदपुरा एवं थाना निशातपुरा में तीन झूठी एफ़आईआर दर्ज करायीं। शिकायतकर्ता ने कहा कि श्री इरशाद वली ने उनकी अनुपस्थिति में उनके घर की तलाशी ली और उसे सील कर दिया, जिसके कारण उनकी पत्नी और बच्चे कोविड-19 महामारी के दौरान बेघर हो गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्री इरशाद वली ने साजिश के तहत उनकी मान्यता रद्द करने के लिए झूठे दस्तावेज देकर जनसंपर्क विभाग को गुमराह किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि श्री इरशाद वली आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और अपने पद का दुरूपयोग करते हैं। उन्होंने परिषद से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 16.7.2020 को टिप्पणियों के लिए नोटिस दिया गया था। हालाँकि, उनकी ओर से कोई जवाब न मिलने पर, 31.8.2020 को जवाबी वक्तव्य हेतु नोटिस सेवित किए गए।

<u>श्री इरशाद वली, डीआईजी, भोपाल द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य</u>

अवर सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ने अपने पत्र दिनांकित 25.9.2020 द्वारा श्री इरशाद वली, उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल रेंज (नगर), भोपाल के उत्तर दिनांकित 12.9.2020 की प्रति अग्रेषित की है।

श्री इरशाद वली, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेंज (नगर), भोपाल ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 12.9.2020 में शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए आरोप लगाया है कि शिकायत झूठी और निराधार है। प्रतिवादी ने आगे आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा में दस (10) मामले दर्ज हैं और दो (2) मामले पुलिस थाना गोविंदपुरा और कोतवाली में दर्ज हैं।

प्रतिवादी ने कहा कि दिनांक 6.9.2004 को भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन हुआ था और दिनांक 23.1.2019 को भोपाल में तैनात थे और इससे पहले वह कभी भी छिंदवाड़ा या भोपाल में तैनात नहीं थे। प्रतिवादी ने आगे कहा कि श्री अनम इब्राहिम के खिलाफ दर्ज अधिकांश अपराध उनकी नियुक्ति से पहले दर्ज किए गए थे। कई मामलों में, शिकायतकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया था, इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि वास्तव में, एक बार उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, शिकायतकर्ता की गिरफ्तारी के लिए दिनांक 20.1.2020 को 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया था और उसी से नाराज होकर श्री अनम इब्राहिम ने भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष उनके खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज की थी, जोकि अवैध है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.1.2020 द्वारा जिले से बाहर निकाल दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता खतरनाक किस्म का अपराधी है और उसके खौफ व आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सनसनी पैदा करने के उद्देश्य से उसे तबलीकी जमात का करीबी बताया है। वायरल वीडियो के आरोप से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई की और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता का फोन पर धमकी देने एवं उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज करने के सभी आरोपों से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता फरार है और जिसके कारण उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। प्रतिवादी ने जनसंपर्क विभाग को गुमराह करने के आरोप से इनकार किया और कहा कि उक्त कार्रवाई जनसंपर्क विभाग द्वारा की गई थी। प्रतिवादी ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांकित 7.1.2020 के अनुसरण में शिकायतकर्ता के घर की तलाशी ली गई। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता सक्षम अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए फरार है और अगर शिकायतकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे अदालत में खुद को निर्दोष साबित करना चाहिए।

<u>प्रति टिप्पणियां</u>

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांकित 29.10.2020 के माध्यम से अपनी शिकायत को दोहराते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने माननीय परिषद को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठा, अधूरा और मनगढ़ंत उत्तर दाखिल किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी- श्री इरशाद वली, डीआईजी ने सात दिनों की अवधि के भीतर उसके खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की अर्थात्, (1) उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए (2) 10,000/- रुपये का इनाम घोषित किया (3) अपराधों की झूठी सूची दिखाकर उसे जिले से बाहर कर दिया (4) उसके खिलाफ सर्च वारंट

जारी किया (5) कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उसके घर को सील कर दिया (6) दुकानों और चौराहों पर उसके पोस्टर चिपका दिये। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों की सूची दिखाकर माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया और इस तरह उसकी जमानत रोकने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने कई समाचार संस्थानों के लिए काम किया है और उनसे प्रशंसा पत्र भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। शिकायतकर्ता ने विवेचित किया कि श्री इरशाद वली द्वारा उल्लिखित उनके खिलाफ दर्ज मामलों की झूठी सूची किसी अन्य व्यक्ति की है और उस व्यक्ति ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना अपराध कबूल कर लिया है। वह व्यक्ति छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव का रहने वाला है, जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार का उत्तर

अवर सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ने अपने पत्र दिनांकित 2.12.2020 द्वारा सहायक पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित 20.8.2020 की प्रति अग्रेषित की, जिसमें यह विवेचित किया गया था कि श्रीमती ज्योति देशमुख की शिकायत पर, शिकायतकर्ता और आकांक्षा देशमुख के खिलाफ थाना गोविंदपुरा में आईपीसी की धारा 452/327/506 के तहत मामला संख्या 827/19 दर्ज किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि पत्रकारिता की आड़ में रकम ऐंठने के लिए, शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन शाहजहानाबाद में आईपीसी की धारा 384/506 के तहत मामला संख्या 736/19 दर्ज किया गया था। प्रतिवादी के अनुसार, शिकायतकर्ता के विरूद्ध पुलिस थाना जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा में दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना प्राप्त होने पर, इस संबंध में जनसम्पर्क विभाग को सूचना दी गयी और उन्होंने शिकायतकर्ता की राज्य मान्यता रद्द कर दी। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना कोतवाली, भोपाल में आईपीसी की धारा 153ए/506 के तहत मामला संख्या 49/2020 दिनांकित 29.3.2020 दर्ज किया गया था। फिलहाल अभियुक्त फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा में दस (10) मुकदमे दर्ज हैं। प्रतिवादी ने कहा कि श्री इरशाद वली, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं।

शिकायतकर्ता का पत्र

शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 12.2.2021 के माध्यम से विवेचित किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेश पर, पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश ने उन्हें सुरक्षा गार्ड प्रदान किया, लेकिन इसके बावजूद प्रतिवादी- श्री इरशाद वली के निदेश पर, पुलिस द्वारा, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से रोक दिया गया।

शिकायतकर्ता-श्री अनम इब्राहिम ने ईमेल दिनांकित 13.3.2021 के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रतिवादी, श्री इरशाद वली, डीआईजी, भोपाल की धमकियों के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान की और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जनहित याचिका संख्या 23492/SCI/PIL/E/2021 पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है, जिसका निर्णय आना अभी शेष है।

पुलिस मुख्यालय, भोपाल से अगला पत्र

सहायक पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल ने दिनांक 26.4.2021 एवं 15.6.2021 को अपने पूर्व उत्तर दिनांकित 20.8.2020 को दोहराते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.01.2020 के माध्यम से भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं होशंगाबाद जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि श्री इरशाद वली, डीआईजी के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं।

जांच समिति द्वारा दिनांक 21.9.2022 को मामले की सुनवाई की गई और निदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया गया।

पुलिस मुख्यालय, भोपाल से प्राप्त पत्र

सुश्री सुषमा सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), मध्य प्रदेश पुलिस ने सुनवाई के दौरान, दिनांक 17.9.2022 का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें पूर्व उत्तर दिनांकित 26.4.2021 को दोहराते हुए कहा कि शिकायतकर्ता कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। प्रतिवादी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज़ की थी।

शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर दिनांकित 19.9.2022 की प्रति

मामले की सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता, श्री अनम इब्राहिम ने अज्ञात नंबर से मोबाइल फोन पर उन्हें प्राप्त धमकियों के संबंध में, अपर डीसीपी, अपराध शाखा, भोपाल, डीजीपी (एमपी, पुलिस) को संबोधित ऑनलाइन एफ़आईआर दिनांकित 19.09.2022 की एक प्रति प्रदान की। एफ़आईआर में बताया गया है कि दिनांक 22.08.2022 को अज्ञात हमलावरों ने शिकायतकर्ता और उनके गनमैन, श्री निहाल गुप्ता, पीएसओ, जो इस घटना में घायल हुए थे, पर हमला किया। दिनांक 22.08.2022 को थाना निशातपुरा भोपाल में धारा 353/323/506/34 के तहत एफ़आईआर संख्या 854/2022 दर्ज की गयी। आगे यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 20.09.2022 को श्री इरशाद वली के खिलाफ दर्ज़ याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी सुरक्षा के

संबंध में सुनवाई हुई थी। एफ़आईआर में विवेचित किया गया कि एक दिन पहले यानी 19.09.2022 को जब शिकायतकर्ता भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष अपने मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे, उसी दिन किसी ने उन्हें अज्ञात नंबर से फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी तथा उनसे कहा कि अगर वह न्यायालय में पेश हुए, तो उनका दूसरा हाथ काट दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 30.10.2022 में सुनवाई के दिन उपर्युक्त घटनाओं को दोहराया। उन्होंने बताया कि एफ़आईआर संख्या 0120/2022 पुलिस थाना अपराध शाखा भोपाल में दर्ज की गयी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि दिनांक 29.10.2022 को जब वह आवेदन देने के लिए पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे, तो डीसीपी, विनीत कपूर ने श्री इरशाद वली के कहने पर उन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने सूचित किया कि डीसीपी, श्री विनीत कपूर ने उनके गनमैन को भी हटा दिया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 15.12.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष फिर से सुनवाई के लिए आया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हैं। प्रतिवादी, श्री इरशाद वली, आईपीएस की ओर से श्री आर.एस. बेलवंशी, सहायक महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, श्री अभय कुमार, अधिवक्ता और सुश्री शगुन रूहिल, अधिवक्ता, जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

दिनांक 13.3.2021 को श्री अनम इब्राहिम, पत्रकार, भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा श्री इरशाद वली, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल, जो वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल के पद पर हैं, के विरुद्ध आलोचनात्मक लेखन के प्रकाशन के कारण उन्हें कथित रूप से परेशान करने और उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाते हुए, शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता दिव्यांग है। समिति ने शिकायत और श्री इरशाद वली द्वारा दर्ज़ उत्तर पर भी गहनता से विचार किया है। शिकायतकर्ता ने श्री इरशाद वली और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कई आरोप लगाए हैं। श्री इरशाद वली ने इन आरोपों का खंडन किया है। अन्य बातों के साथ-साथ, शिकायतकर्ता के आरोप यह हैं कि श्री इरशाद वली ने उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

है; उन्होंने उसे लगातार परेशान किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया; उसे शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया गया है और उसे डर है कि उसकी जान को भी खतरा है।

जैसाकि बताया गया है, श्री इरशाद वली ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। शिकायतकर्ता आज उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि, हालांकि, उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदा था, परंतु श्री इरशाद वली और जहीर खान ने उन्हें कहीं भी जाने से यह कहकर रोका कि अगर वे दिल्ली जाते हैं, तो वे उन्हें गोली मार देंगे। इसलिए वह आज की सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने उन्हें घर में कैद कर लिया है और गार्ड से कहा है कि उन्हें 15.12.2022 तक कहीं भी जाने की अनुमति न दें और इसलिए वह भारतीय प्रेस परिषद तक पहुंचने में असमर्थ हैं। उक्त पत्र में कुछ अन्य आरोप भी हैं। जांच समिति को सूचित किया गया है कि रिट याचिका संख्या 7364/2022 शिकायतकर्ता द्वारा 15 मार्च, 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दायर की गई है। उस रिट याचिका में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं और उसमें, श्री इरशाद वली प्रतिवादी नंबर 7 हैं। उक्त रिट याचिका में कई पुलिस अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने उस रिट याचिका में निम्नानुसार प्रार्थना की है:

"याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय, प्रतिवादियों को निदेश दे कि वे याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल (सीआरपीएफ़) जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी, जो प्रतिवादी संख्या 7 के नियंत्रण और प्रभाव से बाहर है, के द्वारा तत्काल सुरक्षा प्रदान करें, ताकि याचिकाकर्ता के जीवन के अधिकार की रक्षा की जा सके जोकि भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है।

इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने सीआरपीएफ जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से सुरक्षा की मांग की है, जो श्री इरशाद वली के नियंत्रण और प्रभाव से बाहर है, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए उनके जीवन के अधिकार की रक्षा की जा सके।

चूंकि याचिका उच्च न्यायालय के अधिकार में है, इसलिए जांच समिति को विश्वास है कि उच्च न्यायालय शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और प्रतिवादियों द्वारा दर्ज़ उत्तर पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हो तो उचित निदेश देगा।

यह मामला न्यायाधीन है और इसलिए भारतीय प्रेस परिषद के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तथापि, शिकायतकर्ता, जो एक पत्रकार हैं, द्वारा की गई इस शिकायत के बारे में जांच समिति चिंतित है कि वह अपने घर में कैद हैं और उनकी जान को खतरा है। भारतीय प्रेस परिषद को पत्रकारों की सुरक्षा का संरक्षण और देख-रेख करनी है। श्री रघुवेंद्र सिंह, एआईजी भोपाल, जांच समिति की बैठक में उपस्थित हैं। जांच समिति उन्हें शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच करने और उसके सही पाए जाने पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निदेश देती है।

यह दोहराना उचित होगा कि उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा की गई सभी शिकायतों का ध्यान रखेगा।

इन परिस्थितियों में, चूंकि मामला न्यायाधीन है, जांच समिति परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और जांच समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए, शिकायत के न्यायाधीन होने के कारण, उसे समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

सिद्धान्त और प्रकाशन

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

फाइल सं.14/704/18-19-पीसीआई

क्रम सं. 1

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
1. डॉ. लिपि चक्रवर्ती, भिलाई,, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।	1. संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर, छत्तीसगढ़
	2. श्री पीलूराम साहू, रिपोर्टर, दैनिक भास्कर, (वर्तमान में पत्रिका के साथ कार्यरत), रायपुर, छत्तीसगढ़।

तथ्य

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांकित 22.3.2019 द्वारा डॉ. लिपि चक्रवर्ती, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की दिनांक 3.1.2019 की एक शिकायत याचिका, आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की है।

डॉ. लिपि चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दैनिक भास्कर के स्वास्थ्य रिपोर्टर, श्री पीलूराम साहू ने निजी स्वार्थ के लिए उनकी सहमति के बिना न्यूज आइटम के साथ

उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि समाचार प्रकाशित नहीं किया गया था, लेकिन विवाद उत्पन्न करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था। प्रतिवादी ने अपने पत्रकार मित्रों को भी इसी तरह की खबर स्थानीय समाचारपत्रों में छापने के लिए दी थी।

दैनिक भास्कर के ऑनलाइन संस्करण में दिनांक 1.5.2018 को "एम्स मोतियाबिंद कांडः डायरेक्टर ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर की कार्रवाई की अनुशंसा" शीर्षक के तहत प्रकाशित आक्षेपित समाचार में यह बताया गया कि एम्स, रायपुर द्वारा गठित समिति ने मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद पांच लोगों की आंखों के संक्रमण के लिए नेत्र सर्जन, डॉ. लिपि चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट के आधार पर, एम्स के निदेशक ने ऑपरेशन के दौरान नेत्र सर्जन द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय से नेत्र सर्जन के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। वहीं, डॉ. लिपि चक्रवर्ती ने कहा कि जूनियर डॉक्टर होने के नाते उन्हें इस घटना में घसीटा गया है। उनके इस बयान के बाद जांच रिपोर्ट पर विवाद और गहरा गया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि श्री पीलूराम साहू, रिपोर्टर ने 1 लाख रुपये की मांग की थी। इसके लिए, उन्होंने उसके मोबाइल नंबर पर वाट्सएप किया और उनके मित्र, श्री जायसवाल से बातचीत की, लेकिन उन्होंने रिश्वत की राशि देने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि ऊपर बताई गई चिकित्सकीय गड़बड़ी की घटना के ठीक बाद, अर्थात्, मरीजों में सर्जरी के बाद आंख में संक्रमण होने के ठीक बाद, घटना से संबंधित विभिन्न समाचार कतरनें शिकायतकर्ता के नोटिस में आयीं। बाद में विभाग के भीतर मामला सुलझ भी गया और मरीज भी समय से ठीक हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह अकेली और व्यस्त नेत्र रोग विशेषज्ञ है और अपने माता-पिता के साथ रहती है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर डॉक्टरों की तस्वीरों को इंटरनेट पर बिना किसी रोक टोक दिखाया जाता है, तो यह चिकित्सा बिरादरी और देश के लिए शर्म की बात है। उनके अनुसार, उन्हें लगता है कि नवगठित और 'विज्ञापित' एम्स को किसी और 'नाम' की जरूरत है, छद्म टैग की नहीं। उन्हें एम्स, दिल्ली के बराबर होने में कई साल लगेंगे। तब तक, जनता को इन नवगठित संस्थानों पर अंध विश्वास नहीं करना चाहिए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह प्रेस को बयान देने के लिए अस्पताल की प्रवक्ता या प्रतिनिधि नहीं है। एम्स या नेत्र विज्ञान विभाग के निदेशक की तस्वीर का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन ऑनलाइन संस्करण में मानहानिजनक पंक्तियों द्वारा उकसाकर ध्यान आकर्षित करने और समाचार को सनसनीखेज बनाने के लिए उनकी व्यक्तिगत तस्वीर प्रकाशित की गई है।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 28.5.2018 द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी तस्वीर हटाने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

संपादक, दैनिक भास्कर, रायपुर और श्री पीलूराम साहू, रिपोर्टर, दैनिक भास्कर, रायपुर को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 17.6.2019 जारी किये गये थे। हालांकि, रिपोर्टर श्री पीलूराम साहू को जारी किया गया नोटिस उनके पास पहुंचे बिना वापस आ गया। इसके बाद, परिषद के पत्र दिनांकित 22.7.2019 द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर से, उनके अपने रिपोर्टर श्री पीलूराम साहू को नोटिस भेजने का अनुरोध किया गया।

शिकायतकर्ता का अगला पत्र

डॉ. लिपि चक्रवर्ती ने ईमेल दिनांकित 18.2.2021 के माध्यम से श्री पीलूराम साहू से प्राप्त व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को साझा किया, जिसमें दैनिक भास्कर समाचारपत्र में शिकायतकर्ता का नाम नहीं डालने के लिए 1 लाख रुपये मांगे गए थे। जब राशि प्रदान नहीं की गई, तो प्रतिवादी ने उनका नाम प्रकाशित किया और यहां तक कि ऑनलाइन समाचारपत्र कतरन में उनकी व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल तस्वीर भी लगा दी। शिकायतकर्ता ने, दिनांक 27.4.2018 को उनको व्हाट्सएप पर प्राप्त कथित चेतावनी की ओर, परिषद का ध्यान आकर्षित किया।

जांच समिति द्वारा 19.2.2021 और 20.9.2022 को मामले की सुनवाई की गई और निदेश के साथ इसे स्थगित कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला अंततः दिनांक 14.12.2022 को नई दिल्ली में अंतिम सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, सर्वश्री शिवेक त्रेहान और रिताज सिंह ने किया।

दैनिक भास्कर के दिनांक 1.5.2018 के ऑनलाइन संस्करण में यह बताया गया था कि एम्स, रायपुर द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसार कि शिकायतकर्ता, डॉ. लिपि चक्रवर्ती द्वारा की गई आँखों की सर्जरी, पांच लोगों की आंखों के संक्रमण के लिए जिम्मेदार थी। यह विवेचित किया गया है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद संक्रमण हुआ था। डॉ. चक्रवर्ती के अनुसार, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर, श्री पीलूराम साहू ने उनसे 1 लाख रुपये की मांग की थी। उक्त राशि के लिए उसने उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप किया था और उसके दोस्त श्री जायसवाल से भी बातचीत की थी। उनके अनुसार, चूंकि उन्होंने उस राशि का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उपर्युक्त विवादास्पद समाचार के साथ, उसकी तस्वीर को, उनसे अनुमति लिए बिना, ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया गया था। व्हाट्सएप संदेश निम्नलिखित हैं।

23 अप्रैल, 2018

पीलू राम साहू: *"मेडम जी नमस्कार कमेटी की रिपोर्ट आपके पास हो तो दे सकते है क्या पीलूरम साहू सीनियर रिपोर्टर दैनिक भास्कर".*

24 अप्रैल, 2018

पीलू राम साहू: *"Apke request pr bahut chhoti news lgi h. Ummid h Samarth ji aur jayaswal ji bhi sansust honge.aur apna wada pura krenge. Thanx*

पीलू राम साहू:: *"समय रहे तो 1 बार बात कर लीजियेगा न्यूज के सिलसिले में"*

27 अप्रैल, 2018

पीलू राम साहू: *"नमस्कार, जायसवाल जी से कहेंगे 1 बार बात जरूर कर लें | ऐसा इगनोर करना ठीक नही है मैडमजी |"*

यह मामला दैनिक भास्कर के ऑनलाइन संस्करण से जुड़ा है। इसलिए यह भारतीय प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि रिपोर्टर पीलूराम साहू द्वारा कथित तौर पर शिकायतकर्ता की तस्वीर और विवादास्पद समाचार प्रकाशित न करने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगे जाने के बाद शिकायत का संज्ञान लिया गया क्योंकि इसमें पत्रकार का कदाचार शामिल है।

डॉ. चक्रवर्ती उपस्थित नहीं हैं। बाद के पत्राचार में, उन्होंने अपने मामले को दोहराया है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि वह आगे के विवादों या मीडिया फ्लैश में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। हालाँकि, उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि प्रेस परिषद को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। परिषद के सचिवालय ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर, श्री पीलूराम साहू को नोटिस सेवित करने का प्रयास किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीलूराम साहू कार्यवाही से बचते रहे हैं। दैनिक भास्कर का प्रतिनिधित्व, श्री रिताज सिंह, अधिवक्ता और श्री शिवेक त्रेहान, अधिवक्ता कर रहे हैं। श्री पीलूराम साहू ने कोई उत्तर भी दर्ज नहीं किया है। समिति को कोई संदेह नहीं है कि श्री पीलूराम को कार्यवाही की पर्याप्त जानकारी है। सम्पादक को जारी किये समन पर निम्नलिखित कथन है **"Reporter, Shri Peeluram Ji along with Editor Sir has gone out for the meeting and not present in the office"** इसलिए निःसंदेह दैनिक भास्कर प्रेस परिषद को सहयोग करने के बजाय, श्री पीलूराम साहू का बचाव कर रहा है। दरअसल, आज यह बयान दिया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दैनिक भास्कर के साथ काम नहीं कर रहा है। हम बयान से स्तब्ध हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। रायपुर में की गई पूछताछ में पता चला कि श्री पीलूराम साहू पहले दैनिक भास्कर में पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे और अब वे पत्रिका नाम के एक अन्य समाचार पत्र के साथ काम कर रहे हैं। यह जानकारी हमें भारतीय प्रेस परिषद के

पूर्व सदस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन, जो रायपुर में रहते हैं, से प्राप्त हुई है। व्हाट्सएप संदेशों से समिति प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि श्री पीलूराम साहू ने डॉ. चक्रवर्ती से 1 लाख रुपये की मांग की। उल्लेखनीय है कि श्री पीलूराम साहू ने आरोपों से इनकार नहीं किया है। समिति इस मामले में प्रेस परिषद के साथ सहयोग नहीं करने पर दैनिक भास्कर के आचरण पर नाराजगी व्यक्त/दर्ज करती है।

दैनिक भास्कर के लिए व्हाट्सएप संदेशों पर ध्यान देना और डॉ. चक्रवर्ती द्वारा दर्ज किए गए मामले की जांच हेतु पुलिस से संपर्क करना आवश्यक था। जहां तक, श्री पीलूराम साहू का संबंध है, डॉ. चक्रवर्ती, यदि चाहें तो इस मामले को पुलिस के समक्ष उठा सकती हैं और प्रेस परिषद द्वारा पारित आदेश की सहायता ले सकती हैं। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह दैनिक भास्कर, जिसके साथ श्री पीलूराम साहू, पत्रकार, काम कर रहे थे, का पता लगाने में भारतीय प्रेस परिषद के साथ सहयोग नहीं करने के लिए उसके आचरण के बारे में नाराज़गी दर्ज करे। समिति श्री पीलूराम साहू के ऐसे आचरण, जो एक पत्रकार को शोभा नहीं देता, की **परिनिंदा** करने की भी संस्तुति करती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट अंगीकार करते हुए प्रतिवादी, श्री पीलूराम साहू, पत्रकार की, उनके आचरण के लिए **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है और इतने गंभीर मामले में उनके साथ काम करने वाले पत्रकार श्री पीलूराम साहू का पता लगाने में प्रेस परिषद को सहयोग नहीं करने पर दैनिक भास्कर के आचरण के बारे में अपनी नाराजगी दर्ज करती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 2 | **फा. सं.14/477/18-19-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्री आनंद मौर्य, क्वालिटी मॉनिटर, मिड डे मील, (जांच अधिकारी), जिला पंचायत डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश।	1. संपादक, जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।

तथ्य

दिनांक 24.12.2018 को सचिवालय में प्राप्त यह अदिनांकित शिकायत, श्री आनंद मौर्य, गुणवत्ता मॉनिटर, मिड डे मील (जांच अधिकारी), जिला पंचायत डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश द्वारा संपादक, जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 3.12.2018 में "जिला सी.ई.ओ. के नाम पर लाख रुपये की मांग" शीर्षक के तहत कथित रूप से झूठी, निराधार और भ्रामक खबरें प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचार में यह बताया गया है कि जिला पंचायत डिंडोरी में तैनात कर्मचारी, श्री आनंद मौर्य ने पंचायत बंकी की एक महिला सरपंच से जिले के सीईओ के नाम पर एक लाख रुपये की मांग की, जिसे न देने पर उन्हें सरपंच के पद से हटा दिया जायेगा। इस संबंध में, महिला सरपंच ने थाना शाहपुरा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के माध्यम से, रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसकी जांच की जा रही है। आक्षेपित समाचार के अनुसार, यह भी प्रकाश में आया है कि इससे क्षुब्ध होकर श्री आनंद मौर्य ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए और कलेक्टर को गुमराह कर पत्रकारों एवं वकीलों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी है। यह भी बताया गया है कि श्री आनंद मौर्य कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और उन्होंने महज़ 25,000/- रुपये मासिक वेतन होने के बाद भी तीन आलीशान घर बनाए हैं।

आरोपों से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आक्षेपित समाचार में कई झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि जिला पंचायत डिंडोरी द्वारा जारी आदेश दिनांकित 27.8.2018 के अनुसार, ग्राम पंचायत बंकी में निर्माण कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप के मामले में पहले से ही जांच चल रही है। त्रिस्तरीय कमेटी ने ग्राम पंचायत बंकी में हुई अनियमितताओं की भी जांच की और सरपंच व सचिव को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रतिवादी ने उक्त गोपनीय जांच को प्रभावित करने की दृष्टि से, झूठा और मानहानिकारक आक्षेपित समाचार प्रकाशित किया। शिकायतकर्ता ने अपने अदिनांकित पत्र द्वारा प्रतिवादी का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने परिषद से प्रतिवादी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

दिनांक 02.07.2019 को प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनांक 17.9.2019 को समयबद्ध अनुस्मारक भी भेजा गया।

प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ उत्तर

श्री सुनील साहू, संपादक, जबलपुर एक्सप्रेस, जबलपुर ने अपने उत्तर दिनांकित 16.9.2022 में प्रस्तुत किया कि आक्षेपित समाचार पुलिस रिपोर्ट और उनके संवाददाता को प्राप्त शिकायतों के आधार

पर प्रकाशित किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने कभी भी जबलपुर एक्सप्रेस के संपादक या प्रबंधन से शिकायत नहीं की। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि भारतीय प्रेस परिषद से नोटिस प्राप्त होने के बाद, उनके द्वारा शिकायतकर्ता से जानकारी मांगी गई थी। प्रतिवादी ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करता है तो इसे समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। प्रतिवादी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दुर्भावनापूर्वक यह शिकायत दर्ज कराई है।

दिनांक 18.2.2021 और 20.9.2022 को जांच समिति ने इस मामले की सुनवाई की और उसे स्थगित कर दिया गया।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला दिनांक 14.12.2022 को सुनवाई के लिए पुन: जांच समिति के समक्ष आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व उनके रिपोर्टर, श्री अजीत झा ने किया।

शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। उन्होंने एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही है। यदि शिकायतकर्ता की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे किसी प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था। समिति ने गौर किया कि शिकायतकर्ता पिछली दो सुनवाइयों में उपस्थित नहीं हुआ है। दिनांक 20.09.2022 को समिति ने टिप्पणी की थी, कि अगर शिकायतकर्ता सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो समिति द्वारा उचित आदेश पारित करते हुए मामले को समाप्त कर दिया जाएगा। इस आदेश की सूचना शिकायतकर्ता को दे दी गई थी। इसलिए, समिति को मामले में आगे बढ़ना होगा।

यह शिकायत जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा शिकायतकर्ता, श्री आनंद मौर्य के विरुद्ध कथित रूप से झूठे, निराधार और भ्रामक समाचार प्रकाशित करने के संबंध में दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जबलपुर एक्सप्रेस के अंक दिनांकित 3.12.2018 में बताया गया कि शिकायतकर्ता, जो कि जिला पंचायत डिंडौरी में तैनात कर्मचारी है, ने पंचायत बंकी की एक एस.टी. महिला सरपंच से 1 लाख रुपये की मांग की। यह बताया गया है कि श्री मौर्य ने उनसे झूठा कहा था कि उक्त रकम जिले के सीईओ को दी जानी है और यदि वह रकम देने से मना करती हैं, तो वह उन्हें सरपंच के पद से हटा देंगे। महिला सरपंच ने थाना शाहपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। आक्षेपित समाचार रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रिपोर्ट दर्ज करने से नाराज होकर श्री मौर्य ने कहा है कि उन्होंने कई कलेक्टरों और सीईओ को हटा दिया है और वह वही करेंगे जो वे चाहते हैं। वह कई अधिकारियों और पत्रकारों को धमकी दे चुके हैं और वह कई आपराधिक मामलों में भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता, श्री मौर्य ने आरोपों से इंकार किया है। जबलपुर एक्सप्रेस के संपादक, श्री सुनील साहू द्वारा दर्ज़ उत्तर में, यह प्रस्तुत

किया गया है कि आक्षेपित समाचार पुलिस रिपोर्ट और उनके संवाददाताओं द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रकाशित किया गया था। आगे यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने कभी भी जबलपुर एक्सप्रेस के संपादक या प्रबंधन से शिकायत नहीं की। आगे कहा गया है कि- यदि शिकायतकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उसे समाचारपत्र में प्रकाशित किया जायेगा। जबलपुर एक्सप्रेस के इस स्टैंड से समिति संतुष्ट है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानकारी मिलने पर खबर प्रकाशित की है। किसी भी तरह, चूंकि प्रतिवादी समाचारपत्र ने कहा है कि वे शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करेंगे, इसलिए इस मामले को लंबित रखना आवश्यक नहीं है। इसलिए, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि यदि शिकायतकर्ता जबलपुर एक्सप्रेस से संपर्क करते हैं, तो जबलपुर एक्सप्रेस को शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित करने का निदेश देकर शिकायत को समाप्त करें।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

******

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 3-4 **फा. सं.14/522-523/19-20-पीसीआई**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
1. श्री उपदेश सक्सेना, इंदौर, मध्य प्रदेश।	1. संपादक, दैनिक भास्कर, इंदौर, मध्य प्रदेश।
	2. संपादक, पत्रिका, राजस्थान पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश।

तथ्य

दिनांक 29.11.2019 की यह शिकायत श्री उपदेश सक्सेना, इंदौर, मध्य प्रदेश द्वारा (i) दैनिक भास्कर और (2) पत्रिका (राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड), इंदौर के संपादकों के विरुद्ध

उनके अंकों दिनांकित 7.11.2019 में **"वारंट लेकर घर पहुंची भोपाल पुलिस को देखकर 5वीं मंजिल से कूद गया लूट-चोरी का आरोप, मौत"** और **"लूट के वारंट में भोपाल पुलिस पकड़ने आई, पांचवी मंजिल से कूदा युवक, मौत",**शीर्षकों के तहत कथित मनगढ़ंत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

दैनिक भास्कर (प्रतिवादी संख्या 1) में प्रकाशित आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि इंदौर के एक अपार्टमेंट में भोपाल पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान डकैती/चोरी के आरोपी ने पुलिस को देखकर खिड़की से छलांग लगा दी और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के माता-पिता मामले में कोई ठोस बयान नहीं दे पाये हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस को देखकर आरोपी खिड़की के पीछे छिप गया और वहीं से नीचे गिर गया। यह भी बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्री कबीर, सुपुत्र श्री उपदेश सक्सेना की इमारत की 5वीं मंजिल से गिरने से मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि श्री कबीर के खिलाफ भोपाल में चोरी और डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके खिलाफ थाना तिलक नगर, इंदौर में वाहन चोरी का एक और मामला दर्ज है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि श्री कबीर ने भोपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, श्री उपदेश, पिता ने बताया कि वे दूसरे कमरे में थे, तभी अचानक उन्हें किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी; उसने देखा कि उसका बेटा खून से लथपथ पड़ा है। वह उसे अस्पताल ले गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि गैलरी में पुलिस को देखकर वह खिड़की के पीछे छिपकर, कूद गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्रिका (प्रतिवादी संख्या 2) समाचारपत्र के दिनांक 7.11.2019 में प्रकाशित आक्षेपित समाचार में बताया गया है कि जब भोपाल पुलिस, हरिनगर के श्री कबीर सक्सेना नामक युवक को गिरफ्तार करने पहुंची, तो बालकनी में छिपने का प्रयास करते हुए, वह अपने घर की इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिवार के बयान के अनुसार, वह बालकनी में तार बांधते समय नीचे गिर गया। सूत्रों के अनुसार, भोपाल पुलिस ने श्री कबीर को चोरी के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उस मामले में वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर पहुंची, तो वह घबरा गया और भागने की कोशिश में बालकनी से नीचे गिर गया। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि श्री कबीर सक्सेना भागने की कोशिश में बिल्डिंग से कूदा था या छुपते हुए नीचे गिर गया था।

आक्षेपित समाचार में लगाए गए आरोप से इनकार करते हुए, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादियों ने उनके बेटे को बदनाम करने के उद्देश्य से, झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित कीं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके बेटे, श्री कबीर की मृत्यु दिनांक 6.11.2019 को इमारत

की पांचवीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। इस संबंध में, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इंदौर को दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा था, जिसकी जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके बेटे की हत्या कुछ लोगों ने एक आपराधिक साजिश में की थी, जो बिना किसी अदालती वारंट के, बिना पुलिस की वर्दी के उसके घर आए थे। दिनांक 6.11.2019 को श्री राकेश नरवरिया, एएसआई और श्री रिपुसूदन भदौरिया, कांस्टेबल कथित तौर पर थाना बाग सेवनिया, भोपाल से पुलिस थाना तिलक नगर, इंदौर के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर आए थे। वांछित अभियुक्ति न मिलने पर वे अपने साथ तिलक नगर थाना इंदौर के हेड कांस्टेबल, श्री सुभाष राजोरिया एवं एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को उनके घर ले आए, क्योंकि शिकायतकर्ता का घर तिलक नगर, इंदौर थाना क्षेत्र में ही स्थित है। वे बिना कोई पहचान पत्र या गिरफ्तारी वारंट दिखाए, उनके घर में जबरन घुस गए और उनके पुत्र, श्री कबीर सक्सेना के बारे में इस बहाने पूछताछ करने लगे कि वे विजय नगर, इंदौर थाने में उनसे किसी मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उन्होंने उनके बेटे को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया और इससे बचने के लिए उन्होंने रिश्वत के रूप में 2 लाख रुपये की मांग की। उस वक्त, उनका बेटा गैलरी में खड़ा था। रिश्वत की रकम देने से मना करने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जबरन घर से बाहर कर दिया और उनके फ्लैट के मेन गेट को अंदर से बंद कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें और उनके दूसरे पुत्र, श्री शशांक, जो उस समय वहां थे, को पकड़ लिया और उनकी पत्नी और बहू को धक्का दे दिया, जिसके कारण वे गिर पड़े। इसके बाद, वे गैलरी में गए और उसके मृत पुत्र के साथ मारपीट की और उसे धक्का दे दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने और उनके पुत्र शशांक ने जोर से चिल्लाकर कहा कि श्री कबीर बालकनी से गिर गए हैं, ऐसा चिल्लाने पर पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मुख्य द्वार खोल दिया और दो पुलिस अधिकारी भाग गए। केवल दो पुलिस अधिकारी मदद के लिए आए और उनके बेटे को कार में डाल दिया और उसके बाद वे भी भाग गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने तथ्यात्मक स्थिति का ठीक से जायज़ा लिए बिना और उसे एक अभ्यस्त अपराधी के रूप में दिखाकर, लापरवाही से उनके बेटे की तस्वीर के साथ संवेदनशील समाचार प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 14.11.2019 द्वारा प्रतिवादियों का ध्यान आक्षेपित समाचारों की ओर आकर्षित किया और उनसे, बिना शर्त क्षमा याचना प्रकाशित करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 2.1.2020 के जरिये **"हीरानगर बिल्डिंग से गिरने का मामला, पुलिस कर रही घटना की जांच – जैकट में छिपाकर रखता था शराब, मजदूरों को बेचता था"** (तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है) शीर्षक के अंतर्गत पत्रिका में प्रकाशित समाचार की क्लिपिंग प्रस्तुत की है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री

कबीर, जो पुलिस गिरफ्त से बचने की कोशिश में इमारत से गिर पड़े थे, एक महीने पहले शराब बेचते हुए पकड़े गए थे। आगे बताया गया कि वे विशेष जैकेट में छिपाकर, मजदूरों को शराब बेचा करते थे। वे भोपाल और इंदौर में चोरी और डकैती के कई मामलों में भी शामिल थे।

प्रतिवादियों, दैनिक भास्कर और पत्रिका के संपादकों को दिनांक 24.1.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे, जिसके बाद दिनांक 17.3.2020 और 26.10.2020 को अनुस्मारक भेजे गए थे।

राजस्थान पत्रिका (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा दर्ज़ उत्तर

श्री रघुनाथ सिंह, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, राजस्थान पत्रिका ने अपने उत्तर दिनांकित 19.09.2022 में कहा है कि आक्षेपित समाचार सत्य के उचित सत्यापन के बाद और विश्वसनीय स्रोतों और एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा है कि अखबार ने मृतक के परिवार के सदस्यों का बयान भी प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि जब भोपाल पुलिस, न्यायालय द्वारा जारी वारंट को सेवित करने/गिरफ्तारी हेतु मृतक (श्री कबीर सक्सेना) के घर गई तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बालकनी में छिप गये और गलती से इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गये। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता, जो मृतक के पिता हैं, ने उल्लेख किया कि उनका पुत्र कबीर सक्सेना बालकनी में तार ठीक करते समय गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए समाचारपत्रों ने शिकायतकर्ता का बयान भी प्रकाशित किया है। उसने कहा है कि मौत का कारण 5वीं मंजिल से नीचे गिरना बताया गया है और नोटिस में मौत का कारण आपराधिक साजिश/हत्या बताया गया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा तथ्यों की जांच की जानी अपेक्षित है, इसलिए शिकायत अभी खारिज करने योग्य है। उन्होंने आगे बताया कि अन्य समाचारपत्रों ने भी इसी तरह की खबरें प्रकाशित की हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित समाचार को मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

दैनिक भास्कर की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 24.2.2021 और 20.9.2022 को मामले की जांच समिति द्वारा सुनवाई की गई और निदेश के साथ इसे स्थगित कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 14.12.2022 को जांच समिति के समक्ष पुनः सुनवाई के लिए आया।

यह शिकायत श्री उपदेश सक्सेना द्वारा (i) दैनिक भास्कर और (ii) राजस्थान पत्रिका के संपादकों के विरुद्ध अपने पुत्र, श्री कबीर सक्सेना की मौत के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित करने के

लिए दर्ज़ की गई है। शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं है। दैनिक भास्कर का प्रतिनिधित्व, अधिवक्ता श्री रीताज सिंह और श्री शिवेक त्रेहान ने किया और राजस्थान पत्रिका का प्रतिनिधित्व श्री शिवेदक, श्री परीक्षित सिंह और सुश्री श्रुति गुप्ता ने किया। संक्षेप में, अन्य बातों के साथ शिकायतकर्ता की शिकायत से यह लगता है कि पुलिस ही उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में, एक स्थान पर, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके पुत्र, कबीर सक्सेना को इमारत की 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया और समाचारपत्रों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए पूरी तरह से अलग वर्तन दिया कि कबीर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह इमारत से नीचे गिर गया। शिकायतकर्ता की शिकायत यह है कि उसके बेटे की मौत के बारे में उसके बयान को अखबारों ने प्रकाशित नहीं किया है। समिति ने पाया कि दैनिक भास्कर ने शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया घटना का पहला वर्तन प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर के परामर्शदाता ने कहा कि समाचार उचित सत्यापन के बाद प्रकाशित किया गया था और समाचारपत्र ने इस बात का ध्यान रखा कि उस समय कबीर के पिता द्वारा दिया गया बयान भी प्रकाशित हो। समिति इस कथन को स्वीकार करती है। दैनिक भास्कर के विरुद्ध दर्ज़ की गई शिकायत खारिज करने योग्य है। जहां तक राजस्थान पत्रिका का संबंध है, राजस्थान पत्रिका ने घटना का विवरण दिया है, हालांकि समाचार में शिकायतकर्ता का पक्ष प्रकाशित नहीं किया गया है। राजस्थान पत्रिका के परामर्शदाता का कहना है कि समाचार उचित सत्यापन के बाद प्रकाशित किया गया था और शिकायतकर्ता ने राजस्थान पत्रिका से संपर्क ही नहीं किया था, इसलिए उसके वर्तन को प्रकाशित करने का सवाल ही नहीं उठता। इन परिस्थितियों में, समिति की राय में राजस्थान पत्रिका के विरुद्ध दर्ज़ की गई शिकायत का निपटारा राजस्थान पत्रिका को यह निदेश देकर किया जा सकता है कि यदि शिकायतकर्ता राजस्थान पत्रिका से संपर्क करता है, तो वह उनके बेटे की मौत के बारे में शिकायतकर्ता का बयान प्रकाशित करे। समिति परिषद को परामर्श देती है कि वह ऐसा निदेश जारी करने के बाद राजस्थान पत्रिका के विरुद्ध दर्ज़ की गई शिकायत को समाप्त करे। समिति दैनिक भास्कर के विरुद्ध दर्ज़ की गई शिकायत को खारिज करने के लिए परिषद से संस्तुति करती है।

निर्णय

इस मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और दैनिक भास्कर के विरुद्ध शिकायत को खारिज करने और उपर्युक्त टिप्पणी के साथ राजस्थान पत्रिका के विरुद्ध शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 5 **फ़ा. सं.48/2020-ए**

शिकायतकर्ता	**प्रतिवादी**
1. श्रीमती आरती कुमारी, रांची, झारखंड।	1. संपादक, दैनिक भास्कर, रांची, झारखंड।

तथ्य

दिनांक 16.1.2020 की यह शिकायत श्रीमती आरती कुमारी, रांची, झारखंड द्वारा संपादक, दैनिक भास्कर, रांची संस्करण के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 30.11.2019 में "झारखंड में पहली बार नकाब में पेशी-आरोपियों से बचाने के लिए गवाह को नकाब में लाये" शीर्षक के तहत उनके पति के खिलाफ कथित रूप से विकृत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी।

आक्षेपित समाचार में बताया गया था कि एक पूर्व विधायक, श्री रमेश सिंह मुंडा पर एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों द्वारा हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने इस हत्याकांड में श्री रमेश सिंह मुंडा के सरकारी अंगरक्षक एवं तामार निर्वाचन-क्षेत्र के पूर्व विधायक, श्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर की साजिश का पर्दाफाश किया था। आगे बताया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए गोपाल सिंह पातर सहित सभी आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। यह भी बताया गया कि दो संरक्षित गवाहों ने राजा पीटर को पहचान लिया और बताया कि राजा पीटर ने हत्या की साजिश रची थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके पति, श्री गोपाल सिंह पातर झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 के दौरान उम्मीदवार थे और वे आपराधिक आरोप का भी सामना कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र ने अदालती कार्यवाही के विकृत तथ्यों को प्रकाशित किया, जिससे दिनांक 7.12.2019 को हुए विधायी चुनाव के दौरान उसके पति को नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने कहा कि आक्षेपित समाचार में दावा किए गए बयान अदालत के समक्ष गवाहों द्वारा नहीं दिए गए थे।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पति के चुनाव प्रचारक ने इस संबंध में प्रतिवादी समाचारपत्र के खिलाफ उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल, जिला रांची से भी शिकायत की थी और उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल द्वारा प्रतिवादी संपादक, दैनिक

भास्कर को एक नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने परिषद से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

दिनांक 18.7.2020 को संपादक, दैनिक भास्कर, रांची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी-संपादक, दैनिक भास्कर, रांची ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 17.8.2020 द्वारा, शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए प्रस्तुत किया कि समाचार ठीक उसी तरह प्रकाशित किया गया था, जैसे गवाहों ने अदालती कार्यवाही के दौरान जज के समक्ष बयान दिए थे। प्रतिवादी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल, जिला रांची के समक्ष भी शिकायत दर्ज की और वह शिकायत अभी भी अंतिम निर्णय के लिए विचाराधीन है और इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ माननीय भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज की। प्रतिवादी ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता ने प्रकाशन की तारीख से छह महीने बीत जाने के बाद यह शिकायत दर्ज़ की। किसी भी वृप्तिक कदाचार के आरोप से इनकार करते हुए, प्रतिवादी ने कहा कि यह शिकायत खारिज करने योग्य है।

प्रति टिप्पणियां

शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणी दिनांकित 14.12.2020 में विवेचित किया कि प्रतिवादी द्वारा दर्ज़ किया गया लिखित वक्तव्य संतोषजनक नहीं है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल, जिला रांची के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6.12.2019 को सुनवाई हुई तथा सुनवाई की अगली तिथि 10.1.2020 निर्धारित की गई। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक जवाब में स्पष्ट किया है कि "मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करें। मुकदमे की कार्यवाही बंद की जाती है।" शिकायतकर्ता ने कहा कि उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल का कथन कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है पूर्णतः निराधार है, जबकि सच यह है कि मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी ने अपने उत्तर दिनांकित 17.8.2020 में उल्लेख किया था कि यह शिकायत उप-मंडल अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी, बुंडू मंडल के समक्ष लंबित है, जबकि मामला दिनांक 10.1.2020 को समाप्त हो गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आक्षेपित समाचार में उल्लेख किया गया है कि संरक्षित गवाह, ए और बी ने हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उनके पति की पहचान की है, जबकि सच यह है कि संरक्षित 'गवाह ए' ने अपने पूरे बयान और साक्ष्य में उनके पति का नाम ही नहीं

लिया है। शिकायतकर्ता ने अपनी प्रति टिप्पणियों में संरक्षित 'गवाह बी' के साक्ष्य का उल्लेख किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि जांच की सत्यता की पुष्टि एनआईए से की जा सकती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने जानबूझकर, चुनाव के समय उनके पति की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से समाचार प्रकाशित किया।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांकित 25.5.2021 के माध्यम से उन याचिकाओं की प्रतियां अग्रेषित की हैं, जिनमें दोनों पक्षों (एनआईए और गोपाल कृष्ण पातर) ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से, न्यायालय से अनुरोध किया है कि गवाहों के साक्ष्य बंद कमरे में रिकॉर्ड करें और यह भी प्रस्तुत किया कि साक्ष्य के संबंध में समाचार न तो किसी समाचारपत्र में प्रकाशित करें और न ही कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखायें।

दिनांक 21.9.2022 को इस मामले की जांच समिति द्वारा सुनवाई की गई और इसे निदेश के साथ स्थगित कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 15.12.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु आया।

दिनांक 16.1.2020 की यह शिकायत श्रीमती आरती कुमारी, रांची, झारखंड द्वारा दैनिक भास्कर, रांची संस्करण के संपादक के विरुद्ध उनके अंक दिनांकित 30.11.2019 में "झारखंड में पहली बार नकाब में पेशी-आरोपियों से बचाने के लिए गवाह को नकाब में लाये" शीर्षक के तहत उनके पति के खिलाफ कथित रूप से विकृत और मानहानिकारक समाचार प्रकाशित करने के लिए दर्ज़ की गई थी। हमने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता, श्री यश कुमार और श्री राघवेंद्र तिवारी और दैनिक भास्कर का प्रतिनिधित्व करने वाले परामर्शदाता, श्री रीताज सिंह को सुना। शिकायतकर्ता के परामर्शदाता द्वारा विवेचित, शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि दैनिक भास्कर ने अपने संस्करण दिनांकित 30.11.2019 में यह प्रकाशित किया कि संरक्षित गवाहों 'ए' और 'बी' ने अपने बयानों में कहा है कि शिकायतकर्ता का पति, जो विधायक, श्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के मामले में जेल में है, ने श्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या की साजिश रची थी। परामर्शदाता ने प्रस्तुत किया कि गवाह 'ए' ने शिकायतकर्ता के पति का हवाला तक नहीं दिया है और गवाह 'बी' ने शिकायतकर्ता के पति का हवाला राजा पीटर के रूप में दिया है। उसने कहा है कि वह राजा पीटर को जानता है, लेकिन उसने यह नहीं कहा है कि राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा को मारने की साजिश रची थी। दैनिक भास्कर के परामर्शदाता ने बताया कि गवाहों 'ए' और 'बी' के ये बयान लीक हो गए थे और उसके बाद दैनिक भास्कर द्वारा सामग्री की सूचना दी गई थी। समिति को सूचित किया गया है कि शिकायतकर्ता के पति को राजा पीटर के रूप में जाना जाता था। शिकायतकर्ता का परामर्शदाता सही है कि गवाह 'ए' ने शिकायतकर्ता के पति का बिल्कुल भी उल्लेख

नहीं किया है, लेकिन गवाह 'बी' ने कहा है कि वह शिकायतकर्ता के पति राजा पीटर को जानता है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि राजा पीटर ने श्री रमेश मुंडा की हत्या की साजिश रची थी।

यह मामला न्यायाधीन है और शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत उस जज के समक्ष की जा सकती है, जो हत्या के मुकदमे की जांच कर रहे हैं, और वे अपने सामने सबूत पेश किए जाने के बाद गुण-दोष के आधार पर इस मामले का निर्णय लेंगे। भारतीय प्रेस परिषद का संबंध किसी समाचार या घटना की गलत या असत्य रिपोर्टिंग से है। चूंकि गवाह 'ए' ने शिकायतकर्ता के पति का जिक्र भी नहीं किया है और गवाह 'बी' ने शिकायतकर्ता के पति का जिक्र किया है, लेकिन उसने यह नहीं कहा है कि उसने मुंडा को मारने की साजिश रची थी, इसलिए, दैनिक भास्कर द्वारा की गई रिपोर्टिंग निस्संदेह दोषपूर्ण है। चूंकि शिकायतकर्ता के पास विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का अन्य प्रभावी उपाय है, इसलिए समिति को इस मामले पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। समिति परिषद से केवल यही संस्तुति करती है कि वह दैनिक भास्कर को चेतावनी दे कि वह उचित सत्यापन के बिना, ऐसी खबरें प्रकाशित न करे और साथ ही शिकायत को समाप्त करने की भी संस्तुति करती है।

निर्णय

इस मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र, दैनिक भास्कर को चेतावनी देने के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

स्व-प्रेरणा से कार्रवाई (प्रेस के विरुद्ध)

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 6 **फा. सं.14/50/स्व-प्रेरणा/19-20-पीसीआई**

दैनिक भास्कर द्वारा टेली-फ्रैंड्शिप (दूरमित्रता) विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने "दैनिक भास्कर" के अंक दिनांकित 11.4.2019 में प्रकाशित टेली-फ्रैंड्शिप (दूरमित्रता) विज्ञापनों पर गौर किया है कि वे पत्रकारिता के आचरण के मानक (संस्करण 2022) के मानक 2(xiii) का उल्लंघन करते हैं, जो इस प्रकार पठनीय हैं:-

“‘मनोरंजक’ बातचीत और सांकेतिक (अश्लील) दूर वार्ता (टेलीटॉक) हेतु दिये गए नंबर डायल करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करते हुए संपूर्ण देश में समाचारपत्र द्वारा दिए गये टेली-फ्रैंड्शिप (दूरमित्रता) विज्ञापन किशोरों के विचारों को प्रदूषित करके अनैतिक सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रेस को ऐसे विज्ञापन अस्वीकार कर देने चाहिए।”

परिषद ने इस मामले में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया और दैनिक भास्कर के संपादक को दिनांक 3.5.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा दर्ज उत्तर

प्रस्तुकर्ता, श्री मुकेश द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवादी समाचारपत्र "दैनिक भास्कर" के अदिनांकित लिखित वक्तव्य, जिसमें उन्होंने परिषद द्वारा जारी समन का उल्लेख करते हुए, प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.10.2019 का विज्ञापन अनजाने में समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि गलती इसलिए हुई, क्योंकि अक्टूबर के महीने में दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों का महीना होने के कारण काफी सारे विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। प्रतिवादी का कभी भी प्रेस परिषद के नियमों का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने आश्वासन दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा।

यह मामला दिनांक 20.8.2019, 24.10.2019, 18.12.2019, 26.2.2020, 17.12.2020, 25.2.2021 और 20.9.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला अंततः दिनांक 14.12.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। श्री नवनीत गुर्जर, राष्ट्रीय संपादक, दैनिक भास्कर, अधिवक्ता, सर्वश्री शिवेक त्रेहान और रिताज सिंह के साथ समिति के समक्ष पेश हुए।

प्रेस परिषद ने दैनिक भास्कर के अंक दिनांकित 11.4.2019 में प्रकाशित टेली फ्रेंडशिप विज्ञापन के बारे में गौर किया है, जो पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2022 के मानक 2(xiii) का उल्लंघन करता है।

विज्ञापन

***मानक 2*(xiii)**

"मनोरंजक' बातचीत और सांकेतिक (अश्लील) दूर वार्ता (टेलीटॉक) हेतु दिये गए नंबर डायल करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करते हुए संपूर्ण देश में समाचारपत्रों द्वारा दिए गये टेली-फ्रैंड्शिप (दूरमित्रता) विज्ञापन किशोरों के विचारों को प्रदूषित करके अनैतिक सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रेस को ऐसे विज्ञापन अस्वीकार कर देने चाहिए।"

परिषद ने स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया और दिनांक 3.5.2019 को दैनिक भास्कर के संपादक को नोटिस जारी किया गया। श्री रिताज सिंह, अधिवक्ता, श्री शिवेक त्रेहान, अधिवक्ता और श्री नवनीत गुर्जर, मुख्य संपादक, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री रिताज सिंह ने स्वीकार किया है कि यह विज्ञापन पत्रकारिता के आचरण के उपर्युक्त मानक के विरुद्ध है। उन्होंने इस चूक के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है। श्री रिताज सिंह ने दैनिक भास्कर की ओर से, समिति को मौखिक आश्वासन दिया है कि दैनिक भास्कर भविष्य में अपने किसी भी संस्करण में इस तरह के टेली फ्रेंडशिप विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। दैनिक भास्कर के मुख्य संपादक, श्री नवनीत गुर्जर ने भी इसी तरह का मौखिक आश्वासन दिया है। दैनिक भास्कर के संपादक, श्री मुकेश द्वारा दिया गया आश्वासन, जोकि रिकॉर्ड में है, के साथ समिति द्वारा इन आश्वासनों को स्वीकार किया जाता है। समिति की राय में समाचारपत्रों को ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए, जो निस्संदेह युवा पीढ़ी पर विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसे विज्ञापन समाज के लिए हानिकारक होते हैं। इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दैनिक भास्कर की पहले भी परिनिंदा की जा चुकी है। इसलिए दैनिक भास्कर के पास उन सभी विज्ञापनों को, जो उन्हें प्राप्त होते हैं, ठीक से स्कैन करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए और फिर ऐसे विज्ञापनों को अलग करना चाहिए, जो मानकों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। यह कहने

की आवश्यकता नहीं है कि यदि यह आचरण दोहराया जाता है, तो प्रेस परिषद को इस मामले पर फिर से विचार करना होगा। इन परिस्थितियों में, समिति प्रतिवादी के परामर्शदाता, श्री रिताज सिंह और दैनिक भास्कर के मुख्य संपादक, श्री नवनीत गुर्जर द्वारा दिए गए वचनबंध को स्वीकार करने के बाद परिषद से शिकायत को समाप्त करने की संस्तुति करती है।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रेस परिषद कारणों व निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ शिकायत को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 7 **फ़ा. सं.1/स्व-प्रेरणा/2020-ए**

राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली द्वारा भ्रामक एवं अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली संस्करण के अंक दिनांकित 5.7.2020, 9.7.2020, 11.7.2020, 13-14.7.2020, 20-21.7.2020, 28.7.2020, 30.7.2020, 4.8.2020, 10-11.8.2020, 13.8.2020, 18.8.2020, 21-24.8.2020, 25.8.2020, 27-28.8.2020, 31.8.2020, 1-4.9.2020, 6-10.9.2020, 12-20.9.2020 में प्रकाशित भ्रामक, अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों पर गौर किया है, जो परिषद द्वारा तैयार किए गए पत्रकारिता के आचरण के मानक (संस्करण-2019) के मानक 2 "विज्ञापन" और मानक 28 "अश्लीलता और अशिष्टता से बचा जाए" का उल्लंघन करता है।

कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

इस मामले का स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय सहारा के संपादक को दिनांक 4.9.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु दिनांक 17.12.2020 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

जांच समिति द्वारा दिनांक 18.2.2021 और 20.9.2022 को मामले की सुनवाई की गई और निदेश के साथ मामले को स्थगित कर दिया गया।

जांच समिति की रिपोर्ट

इस मामले का आज, अर्थात्, दिनांक 14.12.2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामला सं.एसएम/जनवरी/01/2021-ए में सुनवाई के संबंध में हवाला दिया गया था और राष्ट्रीय सहारा के दोनों मामलों का विषय एक जैसा होने के कारण उन्हें टैग किया गया और दिनांक 15.12.2022 को सूचीबद्ध किया गया।

आदेश दिनांकित 14.12.2022

इस मामले में राष्ट्रीय सहारा द्वारा प्रकाशित अश्लील और अशालीन विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया गया था।

श्री जी.एन. सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सहारा और श्री रोशन लाल, ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा उपस्थित हैं। एक और मामला है, (मामला संख्या SM/Jan/01/2021-A), जिससे भी राष्ट्रीय सहारा का संबंध है। उस मामले में भी यही मुद्दा शामिल है, अर्थात्, अश्लील और भद्दे विज्ञापन का प्रकाशन, लेकिन वह मामला आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जो मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उसकी सुनवाई दिनांक 20.9.2022 को हुई और आदेश पारित किया गया। इस आदेश को दिनांक 15.11.2022 को अनुसमर्थन के लिए परिषद के समक्ष रखा गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय सहारा से दिनांक 23.09.2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय सहारा को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं मिला था और इसलिए, राष्ट्रीय सहारा को सुनवाई का अवसर दिया जाए। सचिवालय का यह वही मामला है, जिसमें राष्ट्रीय सहारा को नोटिस सेवित किया गया था, हालांकि जांच समिति इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती है क्योंकि इसी तरह का मामला आज जांच समिति के सामने रखा गया है और दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जा सकता है। इसलिए, जांच समिति सूचीबद्ध मामले को 15 दिसंबर, 2022 तक के लिए स्थगित करती है। अतः वर्तमान मामले के साथ टैग किए गए दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के सूचीबद्ध इस मामले को जांच समिति ने मामला सं. SM/Jan/01/2021-A के जैसा होने के कारण 15 दिसंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

आदेश दिनांकित 15.12.2022

इस मामले (मामला सं.1/स्व-प्रेरणा/2020-ए) के साथ कल, अर्थात्, दिनांक 14.12.2022 को सूचीबद्ध किए गए मामले, अर्थात्, (मामला सं एसएम/जनवरी/01/2021-ए), जिसे टैग किया गया था, पर चर्चा की गई। मामले को फिर से सूचीबद्ध करने और मामला सं 1/स्व-प्रेरणा/2020/ए को इसके साथ टैग करने का निदेश दिया गया। तदनुसार, जांच समिति दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है।

दिनांक 14.12.2022 को श्री जी.एन. सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सहारा और श्री रोशन लाल, ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे दिनांक 15.12.2022 को उपस्थित रहेंगे, हालांकि, वे आज उपस्थित नहीं हैं। सचिवालय को दोनों मामलों में पत्र दिनांकित 15 दिसंबर, 2022 प्राप्त हुआ है। दोनों पत्र समान हैं, उन दोनों पत्रों पर राष्ट्रीय सहारा के उपाध्यक्ष (सैल और मार्केटिंग), श्री जी.एन. सिंह के हस्ताक्षर हैं। इन पत्रों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय सहारा ने स्वीकार किया है कि

आक्षेपित विज्ञापन आपत्तिजनक हैं और इन पत्रों में यह विवेचित किया गया है कि राष्ट्रीय सहारा यह जिम्मेदारी लेता है कि भविष्य में वह अपने प्रकाशन में ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करेगा और राष्ट्रीय सहारा यह स्वीकार करता है कि विज्ञापन की भाषा, भारतीय प्रेस परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थी। इस प्रकार, इन पत्रों में राष्ट्रीय सहारा के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया वचनबंध है, जिसे जांच समिति स्वीकार करती है। वचनबंध को ध्यान में रखते हुए, जांच समिति मामलों को समाप्त करने के लिए परिषद से संस्तुति करती है और टिप्पणी करती है कि यदि दिये गए वचनबंध का कोई उल्लंघन होता है, तो परिषद इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी।

निर्णय

इस मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त टिप्पणी के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 8 **फ़ा. सं.एसएम/जनवरी/01/2021-ए-पीसीआई**

राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान।

तथ्य

भारतीय प्रेस परिषद ने "राष्ट्रीय सहारा", दिल्ली संस्करण के कई समाचारों में दिसंबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया, जोकि प्रथम दृष्ट्या पत्रकारिता के आचरण के मानक- 2020 और 2022 संस्करणों के मानक-2 (iv) और मानक-(xiv), अर्थात्, "विज्ञापन" का उल्लंघन करते पाए गए थे, जो निम्नानुसार पठनीय हैं: -

2(iv) “जो विज्ञापन औषधि और चमत्कारित उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, (2002 में यथासंशोधित) के उपबंधों या किसी अन्य संविधि का उल्लंघन करते हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।“

2(xiv) “अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस सेवाओं के वर्गीकृत विज्ञापन, जो गुप्त प्रलोभन के संकेतक होते हैं, कानून के साथ-साथ नैतिकता का भी उल्लंघन करते हैं। समाचारपत्र को ऐसे विज्ञापन की पुनरीक्षा के लिए एक तंत्र अपनाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लुभावने विज्ञापन न दिये जाएं।”

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन की तिथियां निम्नानुसार हैं:-

01.12.2020	03.12.2020	04.12.2020	05.12.2020	06.12.2020	07.12.2020
08.12.2020	09.12.2020	11.12.2020	12.12.2020	13.12.2020	14.12.2020
15.12.2020	16.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	20.12.2020	21.12.2020
22.12.2020	23.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	27.12.2020	30.12.2020
31.12.2020	01.01.2021	02.01.2021	03.01.2021	04.01.2021	05.01.2021
06.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	09.01.2021	11.01.2021	12.01.2021
14.01.2021	15.01.2021	16.01.2021	17.01.2021	18.01.2021	19.01.2021
20.01.2021	22.01.2021	23.01.2021	24.01.2021	03.02.2021	04.02.2021
05.02.2021	06.02.2021	07.02.2021	08.02.2021	09.02.2021	10.02.2021
11.02.2021	12.02.2021	13.02.2021	14.02.2021	15.02.2021	16.02.2021
18.02.2021	19.02.2021	20.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	24.02.2021
25.02.2021	26.02.2021	27.02.2021	28.02.2021	01.03.2021	02.02.2021
03.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	06.03.2021	07.03.2021	08.03.2021
09.03.2021	11.03.2021	12.03.2021			

इस मामले में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए संपादक, राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली संस्करण को दिनांक 03.07.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

<u>राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली संस्करण का लिखित वक्तव्य</u>

श्री जी.एन. सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सहारा, हिंदी दैनिक, दिल्ली संस्करण ने अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 29.07.2021 में प्रस्तुत किया कि प्रिंट विज्ञापन प्रवृत्ति के अनुसार, इस प्रकार का विज्ञापन, विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से भारत के विभिन्न समाचारपत्रों को जारी किया जाता है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि यह विज्ञापन, कई भाषाई सुधारों के बाद प्रकाशित किया गया है, फिर भी यदि यह मामला भारतीय प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार आपत्तिजनक है, तो उन्होंने परिषद को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला दिनांक 14.12.2022 को जांच समिति द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसे सुनने के पश्चात, जांच समिति ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

आदेश दिनांकित 14.12.2022

इस मामले में राष्ट्रीय सहारा द्वारा प्रकाशित अश्लील और भद्दे विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया गया था।

श्री जी.एन. सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सहारा और श्री रोशन लाल, ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा उपस्थित हैं। एक और मामला है, (मामला संख्या 1/स्व-प्रेरणा-2020-ए), जिससे भी राष्ट्रीय सहारा

का संबंध है। उस मामले में भी यही मुद्दा, अर्थात्, अश्लील और भद्दे विज्ञापन का प्रकाशन शामिल है लेकिन वह मामला आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है। जो मामला सूचीबद्ध नहीं है, उसकी सुनवाई दिनांक 20.9.2022 को हुई और आदेश पारित किया गया। इस आदेश को दिनांक 15.11.2022 को परिषद के समक्ष अनुसमर्थन के लिए रखा गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय सहारा से दिनांक 23.09.2022 को एक पत्र प्राप्त हुआ था कि राष्ट्रीय सहारा को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं मिला है और इसलिए, राष्ट्रीय सहारा को सुनवाई का अवसर दिया जाये। सचिवालय का यह वही मामला है, जिसमें राष्ट्रीय सहारा को नोटिस सेवित किया गया, हालांकि जांच समिति इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती है क्योंकि इसी तरह का मामला आज जांच समिति के सामने रखा गया है और दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जा सकता है। इसलिए, जांच समिति सूचीबद्ध मामले को 15 दिसंबर, 2022 तक के लिए स्थगित करती है। अतः वर्तमान मामले के साथ टैग किए गए दिनांक 15 दिसंबर, 2022 के सूचीबद्ध इस मामले को जांच समिति ने मामला सं. SM/Jan/01/2021-A के जैसा होने के कारण 15 दिसंबर, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

इस मामले को दिनांक 15.12.2022 को सुनवाई के लिए पुनः सूचीबद्ध किया गया, जिसमें जांच समिति ने मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

आदेश दिनांकित 15.12.2022

यह मामला कल, अर्थात्, दिनांक 14.12.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। मामले को पुनः सूचीबद्ध करने और मामला संख्या 1/स्व-प्रेरणा/2020/ए को टैग करने का निदेश दिया गया था। तदनुसार, जांच समिति दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है।

दिनांक 14.12.2022 को श्री जी.एन. सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सहारा और श्री रोशन लाल, ब्यूरो चीफ, राष्ट्रीय सहारा उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे 15.12.2022 को उपस्थित रहेंगे, हालांकि, वे आज उपस्थित नहीं हैं। सचिवालय को दोनों मामलों में पत्र दिनांकित 15 दिसंबर, 2022 प्राप्त हुआ है। दोनों पत्र समान हैं, उन दोनों पर राष्ट्रीय सहारा के उपाध्यक्ष (सेल और मार्केटिंग), श्री जी.एन. सिंह के हस्ताक्षर हैं। इन पत्रों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय सहारा ने स्वीकार किया है कि आक्षेपित विज्ञापन आपत्तिजनक हैं और इन पत्रों में यह विवेचित किया गया है कि राष्ट्रीय सहारा यह जिम्मेदारी लेता है कि भविष्य में वह अपने प्रकाशन में ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करेगा और वह स्वीकार करता है कि विज्ञापन की भाषा, भारतीय प्रेस परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थी। इस प्रकार, इन पत्रों में राष्ट्रीय सहारा के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया वचनबंध है, जिसे जांच समिति स्वीकार करती है। वचनबंधों को ध्यान में रखते हुए, जांच समिति मामलों को समाप्त करने के लिए परिषद से संस्तुति करती है और टिप्पणी करती है कि यदि वचनबंधों का कोई उल्लंघन होता है, तो परिषद इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी।

निर्णय

इस मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त टिप्पणी के साथ मामले को समाप्त करने का निर्णय लेती है।

****

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 9 **फ़ा. सं.एसएम/अक्तूबर/1/2022-ए-पीसीआई**

भारतीय प्रेस परिषद ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र, 'विश्वावाणी' के विरुद्ध स्वप्रेरणा से लिया संज्ञान।

तथ्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और अपर महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, बेंगलुरु, कर्नाटक ने दिनांक 21.10.2022 को एक ट्विटर पोस्ट का हवाला देते हुए, परिषद का ध्यान कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र 'विश्ववाणी' के अंक दिनांकित 06.10.2022 में प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया, जिसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली और अपर महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा अग्रेषित आपत्तिजनक समाचार लेख (व्हाट्सएप पर प्राप्त) के संगत अंश का अंग्रेजी अनुवाद निम्नानुसार है: -

"…That's short for Jordan's characteristic, it doesn't matter who called Jordan the Holy Desert. But only the sun there is sacred!

संक्षेप में वास्तविक अग्नि भूमि! उस मरुस्थल में आधा घंटा खड़े रहोगे ***तो पूरा शरीर कौवे की तरह जलकर राख़ हो जाएगा या 'मुर्मू' का अवतार बन जाएगा!*** *अपनी आंखें बंद करें और आप तपती धूप, जोग फॉल्स से लू (गर्म लहर) का अनुभव करेंगे। जॉर्डन ऐसा ही है। पूरे देश के भू क्षेत्र का तीन-चौथाई (75%) बंजर रेगिस्तान है। हरियाली का नामों निशान भी नहीं है। हर तरफ इतना भयानक रेगिस्तान…"*

इसके अलावा, अपर महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, बेंगलुरु ने उक्त समाचारपत्र दिनांकित 06.10.2022 में प्रकाशित कॉलम के अंश, शीर्षक -**"Ask the Editor"** को (अंग्रेजी अनुवाद के

साथ) अग्रेषित किया, जहां सीईओ, विश्वेश्वर भट ने पाठक, श्री कीर्तिकुमार के प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि "जॉर्डन के आपके कॉलम के ओपेड पेज आर्टिक्ल में आपने 'मुर्मु अवतार जैसा' लिखा है, क्या यह लेख हमारी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहा है और उनके चेहरे का मजाक नहीं उड़ा रहा है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यह आपकी गरिमा के योग्य नहीं है; मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

विश्वेश्वर *भट ने उत्तर दिया "कीर्तिकुमार, मुझे 'थेटू मुर्मू अवतार' (बिल्कुल मुर्मू की तरह) के रूप में लिखे जाने में कोई अपमान नहीं दिखता है। मैंने लिखा है कि मैं जॉर्डन के सनबर्न (धूप में झुलसकर काला पड़ना) की तरह था। यह सच है। इसमें आपको कहाँ अपमान लगता है? यदि मैं कहूं कि मेरा --- अमावस्या चंद्र जैसा था तो क्या यह चंद्रमा के अपमान जैसा है? यह इस तर्क जैसा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। आप मुझे यह एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं? अगर मैं आपके तर्क पर विचार करूँ, तो भी मैंने अमावस्या के चाँद कि तरह काला होने के लिए अपना मज़ाक उड़ाया था। इसमें उनका मजाक उड़ाने या अपमान करने का सवाल कहां आता है।'*

प्रश्नगत लेख, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020 और 2022 के "मानक 31 (vi) अर्थात्, "सरकारी कर्मियों के कृत्यों तथा आचरण पर टिप्पणी करने के लिए प्रेस के अधिकार के पैरामीटर" का उल्लंघन करता है, जिसमें यह विवेचित किया गया है कि "देश के प्रथम नागरिक पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करना, उनका उपहास और अपमान करना अनुचित है और यह उचित पत्रकारिता टिप्पणियों के विरुद्ध है। "तदनुसार, आक्षेपित लेख में भारत की महामहिम राष्ट्रपति के संबंध में इस तरह की टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए "विश्ववाणी", बैंगलोर, कर्नाटक के संपादक को दिनांक 25.10.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

संपादक, विश्ववाणी द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी संपादक ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए अपने लिखित वक्तव्य दिनांकित 07.11.2022 में विवेचित किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, पक्षपातपूर्ण, निराधार और सच्चाई से परे हैं। प्रतिवादी ने आगे कहा कि कॉलम किसी को भी चोट पहुँचाने के इरादे से प्रकाशित नहीं किया गया था, भारत की महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी की तो बात ही छोड़ दें। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उसने भारत की महामहिम राष्ट्रपति की त्वचा के रंग पर कोई टिप्पणी नहीं की है न ही इसकी तुलना कौवे से की है। प्रतिवादी ने आगे कहा कि उसने कौवे जैसी अपनी त्वचा में बदलाव पर टिप्पणी की है। प्रतिवादी ने आगे विवेचित किया कि लेख हाल में ही उनकी जॉर्डन यात्रा के अनुभव पर आधारित है, न कि आमतौर पर किसी व्यक्ति या विशेष रूप से भारत की

महामहिम राष्ट्रपति के बारे में है। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि उनके समाचारपत्र ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी के राष्ट्रपति चुनाव से पहले और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी, उनकी प्रशंसा करते हुए 20 से अधिक लेख और समाचार विश्लेषण प्रकाशित किए थे। प्रतिवादी ने आगे कहा कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। प्रतिवादी ने विवेचित किया कि यदि उक्त लेख से किसी को, किसी भी तरह ठेस पहुँची है, तो वह पूरी ईमानदारी से खेद व्यक्त करता है। उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद से उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने और न्याय और निष्पक्षता के हित में उनके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को बंद करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला दिनांक 15.12.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

श्रीमती जयंती के.वाई., उप निदेशक, पीआईबी, बेंगलुरु सुनवाई के दौरान उपस्थित हैं। जांच समिति के समक्ष प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा कन्नड़ दैनिक समाचारपत्र 'विश्ववाणी' के दिनांक 06.10.2022 के अंक में प्रकाशित एक लेख का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया है, जिसमें भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध अत्यधिक अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित की गई है। यह लेख, श्री विश्वेश्वर भट द्वारा लिखा गया है, जो समाचारपत्र के प्रधान संपादक हैं। लेख की मूल और साथ ही अनुवादित प्रति रिकॉर्ड में है। लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भट ने जॉर्डन का दौरा किया था और इस लेख में उन्होंने जॉर्डन के बारे में अपने अनुभव और विचार लिखे हैं। जॉर्डन के गर्म मौसम का उल्लेख करते हुए, श्री भट ने निम्नलिखित टिप्पणी की है-

संक्षेप में वास्तविक अग्नि भूमि! उस मरुस्थल में आधा घंटा खड़े रहोगे तो पूरा शरीर कौवे की तरह जलकर राख़ हो जाएगा या 'मुर्मू' का अवतार बन जाएगा! अपनी आंखें बंद करें और आप तपती धूप, जोग फॉल्स से लू (गर्म लहर) का अनुभव करेंगे। जॉर्डन ऐसा ही है। पूरे देश के भू क्षेत्र का तीन-चौथाई (75%) बंजर रेगिस्तान है।

प्रेस परिषद का नोटिस मिलने पर श्री भट ने अपना उत्तर प्रेषित किया है।

पैराग्राफ-3 में, श्री भट ने प्रस्तुत किया है कि यह कॉलम किसी को भी चोट पहुँचाने के इरादे से प्रकाशित नहीं किया गया था, भारत की महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी की तो बात ही छोड़ दें। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने भारत की महामहिम राष्ट्रपति की त्वचा के रंग पर कोई

टिप्पणी नहीं की है न ही इसकी तुलना कौवे से की है। उन्होंने कहा है कि, दूसरी ओर, उन्होंने कौवे की तरह अपनी त्वचा में बदलाव पर टिप्पणी की है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाषा स्पष्ट है। यह लेख विशेष रूप से भारत की महामहिम राष्ट्रपति का हवाला देता है और अपमानजनक टिप्पणियां उनके बारे में हैं।

पैरा-5 और 6 में उन्होंने अपना करियर ग्राफ दिया है और विवेचित किया है कि अपनी वृत्तिक प्रतिष्ठा को देखते हुए, भारत की महामहिम राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को कम करने वाले कॉलम को लिखने के बारे में वह कभी भी नहीं सोच सकते हैं।

पैरा-7 महत्वपूर्ण है। यह निम्नानुसार पठनीय है, **"मैं विश्वासपूर्वक विवेचित करता हूं कि प्रकाशित कॉलम पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य से परे, स्पष्ट रूप से भ्रामक है और भारत की महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं माननीय भारतीय प्रेस परिषद के समक्ष विवेचित करता हूं कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने का मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। हालांकि, अगर उक्त कॉलम से किसी को भी किसी भी तरह से चोट पहुंची हो, तो मैं ईमानदारीपूर्वक खेद व्यक्त करता हूं। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना नहीं था।**

अतः, मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि माननीय भारतीय प्रेस परिषद कृपया मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार करे और न्याय और निष्पक्षता के हित में मेरे विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दे।

इस पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि श्री भट यह तर्क देना चाहते हैं कि भारतीय प्रेस परिषद ने उनके लेख का गलत अर्थ निकाला है। उन्होंने विवेचित किया है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने का उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। आगे उनका यह भी कहना है कि यदि उक्त कॉलम ने किसी भी तरह से किसी को भी चोट पहुंचाई हो, तो वह ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और उनका इरादा किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने का नहीं था। गौरतलब है कि बिना शर्त क्षमा याचना नहीं की गई है और यहां तक कि खेद भी सशर्त है। हमें इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि श्री भट ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति के बारे में एक बेहद गैरजिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी की है और उनका यह तर्क कि उनका भारत की महामहिम राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को कम करने का कोई इरादा नहीं था, अस्वीकार किए जाने योग्य ही है। महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने के बाद श्री भट्ट ने इस मुद्दे का महत्व कम करने की कोशिश की है।

जांच समिति ने श्री भट द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति का पद भारत में उच्चतम पद है और प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व है। अगर श्री भट ने माफी भी मांगी होती, तब भी जांच समिति को इसे स्वीकार करने के संबंध में संदेह था। भारत की महामहिम

राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रकाशित की गई ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, जांच समिति परिषद से संस्तुति करती है कि वह समाचारपत्र 'विश्ववाणी' और उसके संपादक, श्री भट की कड़ी परिनिंदा करे और उन्हें चेतावनी दे कि भविष्य में वे कदापि ऐसी टिप्पणियां न करें।

जांच समिति आगे संस्तुति करती है कि इस आदेश की प्रति 1. महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली 2. निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग (आई एंड पीआरडी), कर्नाटक सरकार 3. अपर महानिदेशक, पी आई बी, कर्नाटक 4. महानिदेशक, पी आई बी, कर्नाटक 5. जिला मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु, कर्नाटक को भेजी जाए।

निर्णय

इस मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ समाचारपत्र "विश्ववाणी" और उसके संपादक, श्री भट की कड़ी परिनिंदा करने का निर्णय लेती है।

****

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र-विरोधी तथा पंथ-विरोधी लेख

न्यायनिर्णय

दिनांकित 28.02.2023

क्रम सं. 10 | **फा. सं. 1634/2020-ए**

शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
1. श्री सिद्धार्थ के जे, कैंपेन अगेन्स्ट हेट स्पीच, बैंगलोर।	1. संपादक, विजय कर्नाटक, बैंगलोर।

तथ्य

दिनांक 11.5.2020 की यह शिकायत, कैंपेन अगेन्स्ट हेट स्पीच की ओर से श्री सिद्धार्थ के.जे., बैंगलोर द्वारा समाचारपत्र, "विजय कर्नाटक", बैंगलोर के विरुद्ध अंक दिनांकित 28.3.2020 में कथित रूप से **"All those who died from Corona are from the same community-why do they still come together in the name of prayers"** (अनुवादित वर्तन) शीर्षक के तहत एक लेख के प्रकाशन के लिए दर्ज़ की गई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अनुवाद के अनुसार, समाचार में बताया गया है कि कोरोना से मरने वाले तीनों व्यक्ति और राज्य (कर्नाटक) में अधिकतर संक्रमित व्यिक्त एक ही समुदाय के हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर एक ही समुदाय के सदस्यों पर पुलिस द्वारा कई बार लाठीचार्ज किया जा चुका है। आगे बताया गया है कि कोरोना से मरने वाला पहला शख्स मक्का से लौटा था। चिक्काबल्लापुरा की जिन महिलाओं की मौत हुई है, वे भी मक्का गई थीं। तुमकुरु में मरने वाला व्यिक्त जामिया मस्जिद का दौरा करके दिल्ली से लौटा था। इन लोगों ने अपनी जगह पर वापिस आने के बाद कई लोगों से संपर्क किया था। आगे यह बताया गया है कि हिंदुओं और ईसाइयों ने कर्फ्यू का सम्मान किया और मंदिरों तथा चर्चों में जाना बंद कर दिया। हालांकि उक्त समुदाय के सदस्य, बंद दरवाजों के पीछे नमाज अदा कर रहे थे।

शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि यह लेख सीधे एक विशेष समुदाय पर हमला कर रहा है और उस समुदाय को वायरस के लिए और उसके प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। यह जानकारी न केवल झूठी है, बल्कि विशेष रूप से नफरत को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाती है। समाचारपत्र में दिये गए विवरण से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि समाचार एजेंसी धर्म के आधार पर समुदाय के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही है और उक्त समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है और तथ्यों की जांच किए बिना हमला कर रही है। इस तरह के विवरण, जब समाचारपत्रों द्वारा दिए जाते हैं, तब सक्रिय रूप से नरसंहार की स्थिति पैदा हो जाती है।

शिकायतकर्ता से सभी प्रकार से पूर्ण शिकायत प्राप्त होने पर, माननीय अध्यक्ष महोदया के निदेश पर, प्रतिवादी समाचारपत्र को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 10.6.2020 जारी किए जाने के बाद समयबद्ध अनुस्मारक दिनांकित 25.7.2020 जारी किया गया था।

<u>शिकायतकर्ता का अगला निवेदन</u>

शिकायतकर्ता ने लिखित निवेदन दिनांकित 18.12.2020 (दिनांक 18.12.2020 को सुनवाई के समय दर्ज) के माध्यम से, शिकायत को दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक समाचार पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2019 के मानकों का उल्लंघन है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादी को फटकार लगाए और उसकी परिनिंदा करे और प्रतिवादी को निदेश दे कि वह समाचारपत्र के पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके अलावा, उन्होंने परिषद से अनुरोध किया है कि वह प्रतिवादी को स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश कि कोरोना वायरस के प्रसार के लिए मुस्लिम समुदाय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसा किसी भी प्रकार का प्रकाशन निराधार है और इसके लिए गहरा खेद व्यक्त किया जाता है।

<u>विजय कर्नाटक द्वारा दर्ज़ लिखित वक्तव्य</u>

श्री आकाश नागर, विजय कर्नाटक के अधिवक्ता ने अपने उत्तर दिनांकित 9.3.2021 में प्रस्तुत किया कि लेख का शीर्षक यह नहीं था कि “All those who died from Corona are from the same community” बल्कि शीर्षक में कहीं भी कोरोना शब्द का उल्लेख नहीं था, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शीर्षक में लिखा था, “All people dead belong to the same community", लेकिन न तो कहीं शीर्षक में और न ही कहीं इसकी अंतर्वस्तु (Content) में किसी के नाम के प्रकाशन किया गया और ना ही यह प्रकट किया गया कि मरने वाले उक्त समुदाय से थे। संपादक ने कभी भी समुदाय को कोरोना वायरस से नहीं जोड़ा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य के पहले दो मृतकों ने पहले मक्का का दौरा किया था और तीसरे ने दिल्ली में तब्लीगी मीट में भाग लिया था। इसके अलावा, यह आधिकारिक जानकारी कि संक्रमित होने वाले अधिकतर लोग तब्लीगी मीट से लौटे थे, सभी तरफ मीडिया में फैल रही थी और इसके परिणामस्वरूप, उनके क्लाईंट ने, अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, समुदाय के बीच जागरूकता लाने के लिए जनता से अपील की थी। इसलिए, तथ्यों के आधार पर एक ऐसे समाचार की रिपोर्ट करना, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है, निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सांप्रदायिक घृणा या वैमनस्य फैलाने का कोई सोचा-समझा और दुर्भावनापूर्ण इरादा था।

जांच समिति द्वारा इस मामले की दिनांक 18.12.2020, 25.2.2021 और 21.9.2022 को सुनवाई की गई और इसे स्थगित कर दिया गया।

<u>जांच समिति की रिपोर्ट</u>

यह मामला अंततः दिनांक 15.12.2022 को जांच समिति के समक्ष सुनवाई के लिए आया। शिकायतकर्ता की ओर से श्री अर्चित कृष्णा, अधिवक्ता उपस्थित हुए, प्रतिवादी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता, श्री आकाश नागर और सुश्री रुचि भारगढ़ नागर ने किया।

दिनांक 11.5.2020 की यह शिकायत, कैंपेन अगेन्स्ट हेट स्पीच की ओर से श्री सिद्धार्थ के.जे., बैंगलोर द्वारा समाचारपत्र, “विजय कर्नाटक", बैंगलोर के विरुद्ध **"All those who died from Corona are from the same community why do they still come together in the name of prayers”** शीर्षक के तहत संपादकीय के प्रकाशन के लिए दर्ज़ की गई थी। श्री अर्चित कृष्ण, विद्वान अधिवक्ता शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और श्री आकाश नागर, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संपादक, ‘विजय कर्नाटक’ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आक्षेपित संपादकीय इस प्रकार है:

"All those who died from Corona are from the same community why do they still come together in the name of prayers"

कोरोना से मरने वाले तीनों व्यक्ति और संक्रमितों में ज्यादातर एक ही समुदाय के व्यक्ति हैं। इसी समुदाय के सदस्यों पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कई बार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा चुका है।

कोरोना से मरने वाला पहला व्यक्ति मक्का से लौटा था। चिक्काबल्लापुरा की जिन महिलाओं की मौत हुई है, वे भी मक्का गई थीं। तुमकुरु में मरने वाला व्यक्ति दिल्ली से जामा मस्जिद का दौरा करके लौटा था। इन लोगों ने अपने यहां पहुँचने पर कई लोगों से संपर्क किया था।

हिंदुओं और ईसाइयों ने कर्फ्यू का सम्मान किया है और मंदिरों और चर्चों में जाना बंद कर दिया है। हालांकि उक्त समुदाय के सदस्य बंद दरवाजों के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। वे बेरोक टोक घूम रहे हैं। इससे निवासी चिंतित हैं।

मेंगलुरु और भटकला में ज्यादातर व्यक्ति प्रभावित एक ही समुदाय के हैं। हम नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं से ऐसी घटनाओं पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं।

शुक्रवार को गोकाक पुलिस ने बंद दरवाजों के पीछे नमाज पढ़ते हुए पाया है।

(हिंदी अनुवाद)

रेड बॉक्स

शीर्षक: **कोरोना आतंकवादी जिसने वायरस फैलाने के लिए कहा**

सार्वजनिक जगहों पर थूकने और कोरोना फैलाने की ट्वीट के माध्यम से, अपील करने वाले मुजीब मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इंफोसिस में इंजीनियर के रूप में काम किया और अब उन्हें काम से बर्खास्त कर दिया गया है। (हिंदी अनुवाद)

शिकायतकर्ता के परामर्शदाता ने प्रस्तुत किया कि यह संपादकीय, मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने के उद्देश्य से लिखा गया है और स्पष्ट रूप से पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोरोना महामारी का दोष पूरी तरह से मुसलमानों पर डालने की कोशिश की जा रही है और महामारी के दौरान जब लोग पहले से ही डरे हुए थे, इस तरह के संपादकीय लिखकर, प्रतिवादी समाचारपत्र ने और अधिक डर पैदा करके और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करके स्थिति को और खराब कर दिया है। परिषद ने प्रस्तुत किया कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, जो भारत के संविधान में निहित है, के भी खिलाफ है। यह प्रेस परिषद द्वारा जारी परामर्शिका के भी विरुद्ध है, जो इस प्रकार पठनीय है:

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर/7/2020-पीसीआई **दिनांकित: 01/04/2020**

भारतीय प्रेस परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.03.2020 के आदेश के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के आधार पर, कोविड-19 प्रकोप पर सत्यापित समाचारों के प्रसार में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की मीडिया को दी सलाह

****

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 468/2020 में निम्नलिखित निदेश दिए हैं:-

"विशेष रूप से, हम आशा करते हैं कि मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल) जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि असत्यापित समाचार, जिनसे डर का माहौल हो सकता है, प्रसारित न किये जायें। लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया और फोरम सहित सभी मीडिया माध्यमों से भारत सरकार द्वारा एक दैनिक बुलेटिन को 24 घंटे की अवधि के भीतर सक्रिय किया जाएगा, जैसाकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा बताया गया है। हम महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन मीडिया को घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक वर्तन का संदर्भ देने और उसे प्रकाशित करने का निदेश देते हैं।

प्रिंट मीडिया को उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

शिकायतकर्ता के परामर्शदाता ने आगे कहा कि इस तरह की रिपोर्ट नफरत को बढ़ावा देती है और लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करती है और प्रेस परिषद द्वारा इसकी कड़ी आलोचना एवं परिनिंदा की जानी चाहिए।

दूसरी ओर, समाचारपत्र 'विजय कर्नाटक' के परामर्शदाता ने बताया कि पूरा लेख तथ्यों पर आधारित है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और बदनाम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संपादकीय में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्यापित तथ्य हैं और इसलिए परिषद को शिकायत को खारिज कर देना चाहिए।

'विजय कर्नाटक' के परामर्शदाता की दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है। संपादकीय को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि यह मुसलमानों को लक्षित कर रहा है। इसमें उन लोगों का जिक्र है जो मक्का गए और उसके बाद कथित तौर पर कोरोना से मर गए। बंद दरवाजों के पीछे नमाज अदा करने का जिक्र है। यह कहा गया है कि हिंदुओं और ईसाइयों ने कर्फ्यू का सम्मान किया है, लेकिन उक्त

समुदाय के सदस्य बंद दरवाजों के पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं। मक्का और नमाज़ का संदर्भ स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि लेखक के मन-मस्तिष्क में मुसलमान थे और वह उन्हें निशाना बना रहा था। 'विजय कर्नाटक' समाचारपत्र के परामर्शदाता ने बताया कि शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। जांच समिति ऐसे तर्क को मानने से इंकार करती है। शिकायतकर्ता कैंपेन अगेन्स्ट हेट स्पीच का सदस्य है, जो मीडिया के वर्गों द्वारा नफरत भरे भाषण का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे लोगों का एक मंच है। उसने जिस कारण का उल्लेख किया है, उससे निपटने की जरूरत है। प्रेस परिषद इस संपादकीय का स्वत: संज्ञान भी ले सकती थी। अधिकारिता पर आधारित तर्क अस्वीकार किया जाता है। समिति की राय है कि विजय कर्नाटक ने महामारी के समय गलत सूचना फैलाने की कोशिश की है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया है और इसका आचरण, भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन है। उद्धृत किए गए सुसंगत मानक निम्नानुसार हैं: -

पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020.

जाति, धर्म या समुदाय का उल्लेख

4(i) "सामान्यत: किसी व्यक्ति की या वर्ग विशेष की जाति पहचान न की जाए, खास तौर पर यदि उस संदर्भ में उससे उस जाति के प्रति अनादरपूर्ण भाव का बोध हो या अनादरपूर्ण आचरण अथवा व्यवहार का वर्णन हो|"

4(vi) "यह सुनिश्चित करना समाचारपत्र का कर्तव्य है कि लेख के स्वर, भावना तथा भाषा का स्वरूप आपत्तिजनक, उत्तेजक, देश की एकता एवं अखंडता तथा संविधान की भावना के विरुद्ध, राजद्रोहात्मक और भड़काऊ प्रकृति का न हो और न ही सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा दे। उसमें देश के विभाजन को बढ़ावा देने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए|".

4(xiv) "प्रेस से आशा की जाती है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने एवं उसे बनाये रखने में करेगी।"

4(xv) "सामुदायिक तानाबाना बहुत ही कोमल होता है| समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न भाषाओं में अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।"

विजय कर्नाटक ने भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी परामर्शिका को भी नजरअंदाज किया है।

आखिरी मौके पर हमने परामर्शदाता को सुझाव दिया था कि समाचारपत्र, 'विजय कर्नाटक' को इस आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए और इसे समाचारपत्र में प्रकाशित करना चाहिए। हालांकि, वह ऐसा करने को तैयार नहीं थे। वे अपने इस तर्क पर अडिग थे कि संपादकीय सही तथ्यों

को दर्शाता है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की, कि लेखक के मन में मुसलमान थे। जांच समिति समाचारपत्र, 'विजय कर्नाटक' के इस आचरण की निंदा करती है। समाचारपत्रों को ऐसे संपादकीय लिखने से बचना चाहिए, जो लोगों के बीच कलह पैदा कर सकते हैं और सांप्रदायिकता की आग को भड़का सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यह लेख उस संपादक द्वारा लिखा गया है, जो समाचारपत्र में सर्वोच्च पद पर है और समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार है। उन्हें किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा अपमानजनक लेख नहीं लिखना चाहिए था। संपादक से इस तरह के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है।

अतः समिति परिषद को परामर्श देती है कि वह समाचारपत्र, 'विजय कर्नाटक', बैंगलोर संस्करण की कड़ी **परिनिंदा** करे और पारित आदेश की प्रतियां, परिषद द्वारा महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली, निदेशक, सूचना और जनसंपर्क विभाग, कर्नाटक सरकार, बैंगलोर और जिला मजिस्ट्रेट, बैंगलोर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जायें।

निर्णय

मामले के रिकॉर्ड और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रेस परिषद कारणों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करती है और समिति की रिपोर्ट को अंगीकार करती है और उपर्युक्त निदेश के साथ "विजय कर्नाटक" समाचारपत्र की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।

****

तिमाही के दौरान प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेश - विषयगत सूची

क्र.सं.	विषय	निर्णय की तिथि	निर्णय
1.	श्री एम. का. रहमान, मुख्य संपादक, साप्ताहिक तमिल पत्रिका, अम्मा एक्सप्रेस की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोयंबटूर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.08.2022 के विरुद्ध अपील मि.सं. 27/72/22-23	17/02/2022	समाप्त

<u>प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेश</u>

Press & Registration Appellate Board
प्रेस और पंजीकरण अपीली बोर्ड
सूचना भवन, 8 –सी॰जी॰ओ॰कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110 003
Soochna Bhawan, 8-C.G.O. Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110 003 ☎ 24366745-749, Fax 24368723/726
Email :secy-pci@nic.in;pcibppeditorial@gmail.com;
Website :www.presscouncil.nic.in

मि.सं.**27/72/22-23**-पीआरएबी
दिनांकित: 28.02.2023

<u>अपीलकर्ता</u>
श्री सूर्य प्रताप देव,
अपीलकर्ता के परामर्शदाता

<u>प्रतिवादी</u>
श्री माइकल टोनचुइपम
पंजीकरण पर्यवेक्षक, आरएनआई, दिल्ली

श्री अर्णव कुमार,
केंद्र सरकार के स्थायी परामर्शदाता
आरएनआई, चेन्नई के लिए उपस्थित

<u>आदेश</u>
<u>दिनांकित 17.02.2023</u>

<u>मद सं. 1</u>

श्री एम. का. रहमान, मुख्य संपादक, साप्ताहिक तमिल पत्रिका, अम्मा एक्सप्रेस की अपर जिला मजिस्ट्रेट, कोयम्बटूर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.08.2022 के विरुद्ध अपील।

अपीलकर्ता ने इस अपील में अपर जिला मजिस्ट्रेट और जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.8.2022 को चुनौती दी है, जिसमें उनकी साप्ताहिक पत्रिका को दैनिक सांध्य पत्रिका में बदलने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। अपीलकर्ता की ओर से, श्री सूर्य प्रताप देव पेश हुए। उनका कहना है कि उन्हें अपीलकर्ता ने कल, अर्थात्, दिनांक 16.2.2023 को ही नियुक्त किया है, इसलिए इस मामले में उनके पास कोई निदेश नहीं है। उन्हें समय

की आवश्यकता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कोई पेश नहीं हो रहा है। श्री अर्नव कुमार रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर फॉर इंडिया, (आरएनआई), चेन्नई की ओर से पेश हुए और श्री माइकल, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर फॉर इंडिया, (आरएनआई) दिल्ली की ओर से पेश हुए। हमारी राय में मामले को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदेश को रद्द करना होगा और मामले को वापस भेजने की जरूरत है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जैसा कि इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है।

अपील ज्ञापन से ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक पंजीकृत साप्ताहिक तमिल पत्रिका/समाचारपत्र 'अम्मा एक्सप्रेस' प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवादी संख्या 3 यानी आरएनआई, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत है। चूँकि अपीलकर्ता अपनी साप्ताहिक पत्रिका को दैनिक पत्रिका बनाकर उसकी आवधिकता को बदलना चाहता था और अपनी पत्रिका का पता और मूल्य बदलना चाहता था, उसने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 5 की उप-धारा 2(घ) एवं समाचारपत्रों के पंजीकरण (केंद्रीय) नियम, 1956 के नियम 3 में जैसा आवश्यक है, के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक नई घोषणा दायर की। विद्वान अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर घोषणा को प्रमाणित करने से इनकार कर दिया। आक्षेपित आदेश अस्पष्ट है और इसमें कथित प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के बारे में कोई विवरण नहीं दिये गये हैं। नोटिस जारी किए जाने पर, पुलिस आयुक्त, कोयम्बटूर सिटी ने अवर सचिव, प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड को संबोधित करते हुए जवाब भेजा है। उत्तर अपीलकर्ता, श्री रहमान के विरुद्ध दर्ज कुछ आपराधिक मामलों पर मूल रूप से आधारित है। उक्त उत्तर के प्रासंगिक पैराग्राफ को उद्धृत करना उचित होगा। यह निम्नानुसार पठनीय है:

"आवेदक ने अपने पोदानूर कार्यालय में एम.एस.रुकसाना बेगम के साथ दुर्व्यवहार किया और एम.एस.रुकसाना बेगम की शिकायत के आधार पर, उनके विरुद्ध, डी3 पोदानूर पुलिस स्टेशन में, टीएनपीडब्ल्यूएचए अधिनियम की धारा सं.4 के तहत, अपराध संख्या 915/2014 दर्ज किया गया एवं आईपीसी की धारा 354(बी) एवं 506(ii) के तहत दिनांक 13.06.2016 को मुकदमा दर्ज किया गया और अभी मामला विचारण (ट्रायल) हेतु लंबित है और केंद्रीय अपराध शाखा, कोयंबटूर सिटी से भी उनका संबंध था 1) आईपीसी की धारा 467,420, 506(ii) के तहत अपराध संख्या 33/2007 दर्ज किया गया:, दिनांक 19.07.2013 को मुकदमा दर्ज किया गया और मामला विचारण हेतु लंबित है, 2) केंद्रीय अपराध शाखा, कोयम्बटूर सिटी में आईपीसी की धारा 406, 420, 468, 471, 506(i), 120(बी) के तहत, अपराध संख्या 89/2017 दर्ज किया गया, मुकदमा दिनांक 20.10.2022 को दर्ज़ किया गया परंतु इसे फ़ाइल पर नहीं लिया गया और डिंडुगल, जिला अपराध ब्यूरो, आईपीसी की धारा 294 (बी), 406, 420, 506 120 (बी) के तहत, अपराध संख्या 26/2017 दिनांक 07.12.2017 को मामला दर्ज़ किया गया और मामला विचारण (ट्रायल) हेतु लंबित है। इसलिए, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने आपत्ति जताई। संबंधित पुलिस अधिकारियों

की फील्ड सत्यापन (वेरिफिकेशन) रिपोर्ट के आधार पर, इस कार्यालय पत्र V2/1090/2022 दिनांकित 20.06.2022 के साथ पत्र, जिसमें यह विवेचित किया गया कि पुलिस के दृष्टिकोण से आवेदक के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर को भेजा गया। डी3 पोदानूर पुलिस स्टेशन में दर्ज़ अपराध संख्या: 915/2014 की एफआईआर की प्रतियां, अपराध संख्या: 915/2014, 33/2007, 89/2017 और 26/2017 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम & डेटा शीट्स और कार्यालय पत्र दिनांकित 20.06.2022 को संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है।"

उल्लेखनीय है कि संलग्नक, अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज मामलों के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं और उनका कुछ भाग स्थानीय भाषा में है।

हमारी राय में, विद्वान मजिस्ट्रेट को आक्षेपित आदेश में उन तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए था, यदि वे उनपर भरोसा करना चाहते थे। वास्तव में, अपीलकर्ता को पुलिस रिपोर्ट को देखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। यह भी समझ में नहीं आता है कि यदि पुलिस को अपीलकर्ता की गतिविधियाँ इतनी ही आपत्तिजनक लगती थीं, तो उन्होंने उसे इतने लंबे समय तक साप्ताहिक प्रकाशित करने की अनुमति कैसे दी और अचानक जब अपीलकर्ता ने अपनी पत्रिका की आवधिकता को बदलने का फैसला किया तो पुलिस ने आपत्ति जताई कि उनके विरुद्ध कुछ मामले दर्ज हैं। इनमें से अधिकतर मामले पुराने मामले हैं और ऐसा लगता है कि वे तब से ही लंबित हैं, जब अपीलकर्ता साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा था। इसलिए, प्रथम दृष्ट्या अपीलकर्ता की घोषणा को प्रमाणित करने से इनकार करने के पीछे के तर्क को समझना मुश्किल है। इसका अर्थ यह निकलता है कि अपीलकर्ता, इस तथ्य के बावजूद कि, उसके विरुद्ध मामले लंबित हैं, एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कर सकता है, लेकिन एक दैनिक पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सकता। यह जांचना भी आवश्यक है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो, वह समाचारपत्र प्रकाशित कर सकता है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता ने पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन किया है या नहीं। क्या आपराधिक मामले उनके पत्रकारिता के आचरण से सम्बद्ध हैं? क्या वे गंभीर मामले हैं? विद्वान मजिस्ट्रेट को इन प्रश्नों पर अपने विवेकानुसार विचार करना चाहिए था और अपने निर्णय के समर्थन में उचित कारण देने चाहिए थे।

चूंकि आदेश अस्पष्ट है, इसलिए यह अपास्त किए जाने योग्य है। इस मामले में, हमारी राय में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। सबसे पहले, अपीलकर्ता को बताया जाना चाहिए था कि उसके विरुद्ध मामला क्या था और अपीलकर्ता को मामले पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। इसके बाद, विद्वान मजिस्ट्रेट को समुचित तर्क देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में, हमारे पास आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और विद्वान मजिस्ट्रेट को यह निदेश देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि वह अपीलकर्ता को यह बताने के बाद कि उसके विरुद्ध मामला क्या है, उचित सुनवाई करे और उपयुक्त नया आदेश पारित करें। हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि मामले के

गुण-दोष के संबंध में हमारे द्वारा की गई सभी टिप्पणियाँ हमारी प्रथम दृष्ट्या टिप्पणियाँ हैं और विद्वान मजिस्ट्रेट उन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना विधिनुसार और स्वतंत्र रूप से मामले पर अपना निर्णय लेंगे। हम यह भी चाहते हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर मामले को समाप्त करें। अतः, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

आक्षेपित आदेश दिनांकित 17.8.2022 अपास्त किया जाता है। मामला जिला मजिस्ट्रेट और जिला राजस्व अधिकारी, कोयंबटूर को प्रेषित किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट, अपीलकर्ता को, पुलिस रिपोर्ट, जोकि कथित रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ है, की प्रति देने के बाद उचित सुनवाई करेंगे। विद्वान मजिस्ट्रेट तब अपीलकर्ता के मामले और पुलिस की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे। हम फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि हम मामले के गुण-दोष पर आधारित अपनी कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं और हमारे द्वारा कही गई किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर हमारी अंतिम राय नहीं माना जाना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, निश्चित रूप से, विधिनुसार और स्वतंत्र रूप से शीघ्रअतिशीघ्र आदेश पारित करेंगे।

अंत में, हमें इसे लेकर अप्रसन्नता और खेद है कि नोटिस सेवित किए जाने के बावजूद, अपर जिला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुए। बोर्ड के प्रति उनका सम्मान पर्याप्त नहीं है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आचरण को लेकर हम अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं।

उपर्युक्त आधार पर अपील को समाप्त किया जाता है।

ह0/-
(गुरिंदर सिंह)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई)
अध्यक्ष